[2022] 4 एस. सी. आर. 329

लूप दूरसंचार और व्यापार सीमित

वी.

भारत का संघ और ए. एन. आर.

(सिविल अपील सं। 1447-1467 2016 का)

3 मार्च, 2022

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सूर्या कांत

और विक्रम नाथ, जे. जे.]

दूरसंचारः अनुबंध अधिनियम, 1872-ss. 65 , 23 , 56 - एकीकृत अभिगम सेवा लाइसेंस (यू. ए. एस. एल.)-2 जी स्पेक्ट्रम-अवैध

आवंटन-प्रवेश शुल्क की वापसी के लिए दावा-तत्काल मामले में, अपीलार्थी ने 21 सेवा क्षेत्रों के लिए यू. ए. एस. एल. के अनुदान के लिए आवेदन किया -

इस बीच, कोर्ट ने सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में 2 जी के आवंटन के लिए संघ की नीति घोषित की।

स्पेक्ट्रम को अवैध ठहराते हुए कि ऐसी नीति मनमाना प्रकृति की थी क्योंकि इसमें "पहले आओ पहले सेवा" के आधार पर आवंटन प्रदान किया गया था और इसलिए पक्षपात का द्वार खोल दिया गया था उक्त निर्णय के आधार पर अपीलार्थी ने दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष प्रवेश शुल्क की वापसी में राहत की मांग की।

इस दलील के आधार पर कि आवंटन अनुबंध की प्रकृति में था और उपरोक्त निर्णय के आलोक में यह अमान्य हो गया है और इसलिए अपीलार्थी यू/एस. एस. का सहारा लेने का हकदार है। 65 , 23 & 56 अनुबंध अधिनियम-न्यायाधिकरण ने अपीलार्थी की याचिका को इस आधार पर खारिज कर दिया कि उपरोक्त निर्णय में अपीलार्थी के लाइसेंस को रद्द करने की तुलना यू. ए. एस. एल. समझौते के अर्थ के भीतर शून्य होने के साथ नहीं की जा सकती है। 65 और यह भी कि यह शून्य नहीं हो गया है। 23 और अधिनियम की धारा 56-न्यायाधिकरण ने आगे अभिनिर्धारित किया कि चूंकि अपीलकर्ता समान अधिकारिता में था, इसलिए प्रवेश शुल्क की वापसी का दावा नहीं कर सकता-अपील पर अभिनिर्धारित किया गया-अपीलकर्ता दूरसंचार विभाग के साथ समान अधिकारिता में था, जिसकी 2 जी स्पेक्ट्रम आवंटन प्रक्रिया को अवैध, मनमाना और मनमाना माना गया था।

उपरोक्त निर्दिष्ट निर्णय में न्यायालय द्वारा संवैधानिक रूप से दुर्बल होने के कारण अपीलार्थी गलती पर था इसलिए एस का सहारा लेने का दावा नहीं कर सकता था। 65 अधिनियम का यह भी कि अपीलार्थी उपरोक्त संदर्भित मामले में पक्षकार था और इस तथ्य को जानने के बावजूद कि ऐसे मामले में न्यायालय को लाइसेंसों के आवंटन और पुरस्कार की प्रक्रिया को रद्द करना था जिसमें उसने प्रवेश शुल्क की वापसी का दावा नहीं किया था और इसलिए वर्तमान मामले में ऐसी याचिका दायर करने की अनुमति नहीं दी जा सकती थी।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण अधिनियम 1997: एसएस। 14 , 15 , 16 , 18 दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण -

क्षेत्राधिकार-दायरा और विस्तार-सिविल न्यायालयों के क्षेत्राधिकार को एस द्वारा हटा दिया गया है। 15 - धारा 16 टी. डी. एस. ए. टी. को प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित अपनी स्वयं की प्रक्रिया को विनियमित करने में सक्षम बनाती है-धारा 16 के तहत कानून के एक महत्वपूर्ण प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जाती है। 18 टी. आर. ए. आई. अधिनियम-टी. डी. एस. ए. टी. कानून का एक हिस्सा था और इसे बाधाओं के अधीन अपने अधिकार क्षेत्र को निर्धारित करने का अधिकार था।

कानून में निर्धारित - एस. 14, इस प्रकार, टी. डी. एस. ए. टी.-दूरसंचार के अधिकार क्षेत्र पर कोई बाधा नहीं डालता है।

अनुबंध अधिनियम, 1872-ss. 20 , 56 , 65- दायरा-व्यंजक "शून्य पाया गया" यू / एस. 20 एक ऐसी स्थिति को समझें जिसमें

पक्षकार शुरू से ही तथ्य की गलती से पीड़ित थे, लेकिन समझौते में प्रवेश करने या दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के समय उन्हें यह एहसास नहीं था कि वे ऐसी किसी गलती से पीड़ित थे और इसलिए उन्होंने ऐसे समझौतों में प्रवेश करते समय ईमानदारी से काम किया था। एस. 65 पैरी डिलिक्टो पोटियर एस्ट कंडीशियो पॉसिडेन्टिस-एस के अनुप्रयोग में अधिकतम के अपमान में काम नहीं करता है। 65 यह उन मामलों तक ही सीमित होना चाहिए, जब क्षतिपूर्ति का दावा करने वाला पक्ष अपने आप में समान अधिकार क्षेत्र में नहीं था।

याचिकाओं को खारिज करते हुए अदालत ने

पकड़नाः 1. सी. पी. आई. एल. में इस न्यायालय का निर्णय, जो 2 फरवरी 2012 को दिया गया था, संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत याचिकाओं से उत्पन्न हुआ था। याचिकाओं में उन कार्यवाहियों में निजी उत्तरदाताओं (जिसमें अपीलकर्ता भी शामिल था) को यू. ए. एस. एल. के अनुदान पर सवाल उठाया गया था, इस आधार पर कि डी. ओ. टी. द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया मनमाना, अवैध और संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन थी। इस न्यायालय ने माना कि उचित प्रचार के बाद आयोजित नीलामी शायद प्राकृतिक संसाधनों के अलगाव में समानता को संरक्षित करने की संवैधानिक आवश्यकता को पूरा करने का सबसे अच्छा तरीका था। इस तरह के तंत्र के अभाव में, इस न्यायालय ने माना कि प्राकृतिक संसाधनों/सार्वजनिक संपत्ति का अलगाव है

बेईमान लोगों द्वारा दुरुपयोग किए जाने की संभावना है जो केवल अधिकतम वित्तीय लाभ प्राप्त करने में रुचि रखते हैं और संवैधानिक लोकाचार और मूल्यों के लिए कोई सम्मान नहीं रखते हैं। इस अदालत ने पाया कि सब कुछ उन लोगों के पक्ष में था जो सीमित रूप से दूरसंचार और व्यापार करने में सक्षम थे।

भारत का संघ

AND ANDR।

पहले आओ पहले पाओ नीति के कार्यान्वयन में बदलाव को पहले से जान लें। [पैरा 12,15,17] [350-एफ-जी; 352-जी-एच; 355-एफ]

2. सी. पी. आई. एल. में दिए गए फैसले को पढ़कर इस बात को स्वीकार करना असंभव है कि पहले आओ पहले पाओ नीति में धोखाधड़ी की गई है।

यह अकेले केंद्र सरकार के दरवाजे पर रखा गया था और यह कि अपीलार्थी दाग या गलत काम करने से मुक्त था। इस न्यायालय के फैसले में कहा गया कि-पहले आओ पहले सेवा की नीति व्यापक थी

मनमानेपन के साथ, और सार्वजनिक खजाने को गंभीर नुकसान पहुँचाते हुए कुछ विशिष्ट संस्थाओं का पक्ष लेने का इरादा था। निसन्देह, पहले आओ पहले सेवा नीति के लेखक केंद्र सरकार के भीतर शामिल आधिकारिक कर्ता थे। लेकिन समान रूप से, निर्णय ने निजी व्यावसायिक संस्थाओं को छूट नहीं दी जो

यू. ए. एस. एल. प्राप्त किए और उनके निर्णय के लाभार्थी बने। इस न्यायालय का निर्णय बिना किसी अनिश्चितता के निष्कर्ष निकालता है कि

तत्कालीन संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

सरकारी खजाने की कीमत पर कुछ कंपनियों का पक्ष लेना चाहते थे, और वास्तव में पूरी प्रक्रिया थी

मंच-उन लोगों का पक्ष लेने में कामयाब रहे जिनके पास पहले से ही नीति की बारीकियों तक पहुंच थी। नतीजतन, अदालत ने पाया कि

जिन कंपनियों ने 2004 या 2006 में आवेदन जमा किए थे, वे उन लोगों के पक्ष में थीं जिन्होंने अगस्त और सितंबर 2007 के बीच आवेदन किया था और जो उच्च वरिष्ठता प्राप्त करने में सफल रहे थे, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर स्पेक्ट्रम के आवंटन का अधिकार दिया गया था। स्पेक्ट्रम के आवंटन के लिए तैनात स्पष्ट रूप से असंवैधानिक तंत्र के लाभार्थी कॉर्पोरेट संस्थाएं थीं जिन्हें पहले आओ पहले पाओ नीति के तहत पसंद किया गया था। अपीलार्थी

उनमें से एक है। इस न्यायालय के फैसले द्वारा 5 करोड़ रुपये की लागत वाले तीन लाइसेंसधारियों और अपीलार्थी सहित चार लाइसेंसधारियों के बीच किया गया अंतर, जो थे

50 लाख रुपये की लागत के अधीन था क्योंकि पूर्व के मामले में उनकी हिस्सेदारी को एक नए निवेश या इक्विटी के हस्तांतरण के नाम पर जाहिरा तौर पर उतार दिया गया था। हालाँकि, यह स्पष्ट है कि ये सभी लाइसेंसधारी प्राप्त करने के अवैध अभ्यास में शामिल थे।

सत्ता में रहने वालों के भोग द्वारा अपने लिए अनुग्रह। कि,

इन सबसे ऊपर, सी. पी. आई. एल. में निर्णय की नींव और लाइसेंस रद्द करने और 2 जी स्पेक्ट्रम के आवंटन का औचित्य था। इस अदालत ने तब ट्राई को नया ढांचा तैयार करने का निर्देश दिया

लाइसेंस प्रदान करने और आवंटन [2022] 4 एस. सी. आर. के लिए सिफारिशें।

नीलामी द्वारा बाईस सेवा क्षेत्रों में 2 जी बैंड में स्पेक्ट्रम का आवंटन, जैसा कि 3 जी बैंड में स्पेक्ट्रम के आवंटन के लिए किया गया था। इस प्रकार, सी. पी. आई. एल. में निर्णय इस बात में कोई संदेह नहीं छोड़ता है कि अपीलार्थी केंद्र सरकार के साथ समान अधिकार में था। [पैरा 18,20] [357-ए-ई, जी-एच; 358-ए-सी]

जनहित याचिका केंद्र v. भारत संघ (2012) 3 एससीसी 1: [2012] 3 एस. सी. आर. 147-पर निर्भर।

3. अपीलार्थी ने सी. पी. आई. एल. में न्यायालय के समक्ष प्रस्तुतियों के दौरान यह आग्रह करने का कोई प्रयास नहीं किया कि उन्हें न्यायालय द्वारा प्रक्रिया और लाइसेंस प्रदान करने को रद्द करने की स्थिति में प्रवेश शुल्क की वापसी की अनुमति दी गई। उल्लेखनीय है कि अपीलार्थी ने अलग-अलग कार्यवाहियों में प्रवेश शुल्क की वापसी के दावे के लिए आंदोलन करने की अपनी स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने के लिए उस स्तर पर इस न्यायालय की अनुमति नहीं ली थी। इस तरह के पाठ्यक्रम के अलावा

निर्णय दिए जाने से पहले उनके लिए कार्रवाई खुली थी, अपीलकर्ताओं के लिए स्वतंत्र कार्यवाही अपनाने की स्वतंत्रता की मांग करके निर्णय के बाद भी उनके लिए कानूनी उपाय खुले थे। प्रवेश शुल्क की वापसी के लिए आंदोलन करना। सी. पी. आई. एल. में निर्णय से संबंधित कार्यवाही में या उसके संबंध में किसी भी स्तर पर ऐसा नहीं करने के बाद, अपीलार्थी को बाद में ऐसा करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। [पैरा 37] [371-ई-जी]

4. टी. आर. ए. आई. अधिनियम टी. डी. एस. ए. टी. के कामकाज को नियंत्रित करता है। दीवानी अदालतों के अधिकार क्षेत्र को धारा 15 द्वारा समाप्त कर दिया गया है। धारा 16 टी. डी. एस. ए. टी. को प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित अपनी प्रक्रिया को विनियमित करने में सक्षम बनाती है। टी. आर. ए. आई. अधिनियम की धारा 18 के तहत कानून के एक महत्वपूर्ण प्रश्न पर इस न्यायालय में अपील की जाती है। ट्राई अधिनियम की धारा 14 (ए) को अधिकार देता है -

टी. डी. एस. ए. टी. किसी भी विवाद का निर्णय लेगा (i) एक लाइसेंसधारक और लाइसेंसधारी के बीच; (ii) दो या दो से अधिक सेवा प्रदाताओं के बीच; और (iii) एक सेवा प्रदाता और उपभोक्ताओं के समूह के बीच। [पैरा 26 और 27] [361-बी-डी]

सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया बनाम भारत संघ (2003) 3 एस. सी. सी 186: [2002] 5 पूरक। एस. सी. आर. 222; भारत संघ बनाम। टाटा टेलीसर्विसेज (महाराष्ट्र लिमिटेड) (2007) 7 एस. सी. सी. 517 [2007] 9 एस. सी. आर. 285 पर निर्भर था।

5. तारसेम सिंह के मामले में, इस न्यायालय का सामना भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 20 के तहत एक अनुबंध के अमान्य होने के साथ किया गया था क्योंकि पक्षकार अनुबंध का विषय भूमि के क्षेत्र का आकलन करने के लिए मीट्रिक के संबंध में तथ्य की गलती के तहत थे। इस न्यायालय ने अभिव्यक्ति की व्याख्या करते हुए पाया कि

शून्य, अभिनिर्धारित किया कि ये शब्द एक ऐसी स्थिति को समझते हैं जिसमें पक्षकार शुरू से ही तथ्य की गलती से पीड़ित थे, लेकिन समझौते में प्रवेश करने या दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के समय उन्हें एहसास नहीं हुआ था कि वे ऐसी किसी गलती से पीड़ित थे और इसलिए उन्होंने ईमानदारी से काम किया था।

इस तरह के समझौतों में प्रवेश करना। के दावे का निर्धारण करने में

प्रतिपूर्ति, अवैध कार्य (और प्रतिवादी की तुलना में) के संबंध में दावा करने वाले पक्ष के कानूनी आधार को समझा जाना चाहिए। जब तक क्षतिपूर्ति का दावा करने वाले पक्ष ने अनैच्छिक रूप से अवैध कार्य में भाग नहीं लिया या कानून का शासन उन्हें प्रतिवादी के खिलाफ सुरक्षा प्रदान नहीं करता है, तब तक उन्हें समान रूप से माना जाएगा और इसलिए, बहाली के लिए उनका दावा विफल हो जाएगा। भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 65 के तहत क्षतिपूर्ति के दावे पर निर्णय लेने में, अदालत को उस अवैधता का निर्धारण करना चाहिए जिसके कारण अनुबंध अमान्य हो गया और बहाली का दावा करने वाले पक्ष ने इसमें क्या भूमिका निभाई है। यदि प्रतिपूर्ति का दावा करने वाला पक्ष अवैधता (प्रतिवादी की तुलना में) के लिए समान रूप से या अधिक जिम्मेदार था, तो प्रतिपूर्ति का कोई कारण नहीं होगा। प्रत्येक व्यक्तिगत मामले के तथ्यों के आधार पर इसका निर्धारण किया जाना चाहिए। [पैरा 43,48,52] [375-ए-सी; 378-बी-सी; 382-ई-एफ]

तारसेम सिंह बनाम। सुखमिंदर सिंह (1998) 3 एस. सी. सी. 471; कुजू कोलियरीज लिमिटेड बनाम। झारखंड माइंस लिमिटेड (1974) 2 एस. सी. सी. 533 [1975] 1 एस. सी. आर. 703; इनमानी अप्पा राव बनाम।

गोल्लापल्ली रामलिंगमूर्ति [1962] 3 एससीआर 739;

नारायणम्मा बनाम। गोविंदप्पा 2019 (19) एससीसी 42; सत्यब्रत घोष बनाम। मुगनीराम बांगुर एंड कंपनी [1954]

एस. सी. आर. 310-पर निर्भर।

6. अपीलार्थी डी. ओ. टी. और केंद्र सरकार के तत्कालीन अधिकारियों के साथ समान अधिकार में था। अपीलार्थी था कि

पहले आओ पहले पाओ नीति का लाभार्थी जिसका उद्देश्य सरकारी खजाने की कीमत पर निजी बोली लगाने वाली संस्थाओं के एक समूह का पक्ष लेना था। अपीलार्थी का तर्क कि यह [2022] 4 एस. सी. आर.

सी. पी. आई. एल. में इस न्यायालय के फैसले द्वारा किसी भी गलत काम से छूट दी गई थी जो स्पष्ट रूप से गलत है। यू. ए. एस. एल. एस. के आवंटन और 2 जी स्पेक्ट्रम के आवंटन तक की प्रक्रिया को मनमाना और संवैधानिक रूप से कमजोर पाया गया। प्राकृतिक संसाधनों के आवंटन के लिए एक खुली और पारदर्शी बोली प्रक्रिया की आवश्यकता को एक प्रक्रिया द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था जो थी

चयनित बोलीदाताओं के एक समूह को गैरकानूनी लाभ प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है जिसके द्वारा अपीलार्थी लाभान्वित हुआ। अपीलार्थी ने विशेष न्यायाधीश, सी. बी. आई. द्वारा बरी किए जाने के फैसले पर भरोसा करके इन निष्कर्षों को टालने की कोशिश की है। विशेष न्यायाधीश, सी. बी. आई. के समक्ष आपराधिक मुकदमा इस सवाल तक सीमित था कि क्या अपीलार्थी के प्रवर्तकों ने यू. ए. एस. एल. दिशानिर्देशों के खंड 8 के अनुपालन का गलत प्रतिनिधित्व प्रदान करके डी. ओ. टी. को धोखा दिया था, क्योंकि यह कथित रूप से एस्सार समूह द्वारा नियंत्रित किया जा रहा था। विशेष न्यायाधीश, सी. बी. आई. ने अपीलार्थी के प्रवर्तकों को बरी कर दिया क्योंकि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में असमर्थ था किः (i) दूरसंचार विभाग के अधिकारियों ने अपीलार्थी के प्रतिनिधित्व को गलत माना; (ii) अपीलार्थी एक नकली लेन-देन में शामिल था; या (iii) अपीलार्थी वास्तव में एस्सार समूह द्वारा नियंत्रित था। अतः इन अपराधी के अपीलार्थी के प्रवर्तकों को बरी कर दिया गया।

आरोप उन निष्कर्षों को मिटाते या मिटाते नहीं हैं जो हैं

सी. पी. आई. एल. में इस न्यायालय के अंतिम निर्णय में निहित। इसलिए, एक लाभार्थी और धोखाधड़ी के परिसंघ के रूप में, अपीलार्थी को प्रवेश शुल्क की वापसी प्राप्त करने के लिए इस न्यायालय की सहायता नहीं दी जा सकती है। किसी भी स्थिति में, टी. डी. एस. ए. टी. के समक्ष इस तरह की कार्रवाई स्पष्ट रूप से सी. पी. आई. एल. में इस न्यायालय के फैसले के अनुरूप थी। [पैरा 60] [387-एफ-एच; 388-ए-डी]

भारत संघ बनाम। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (1998) 46 डी. आर. जे. 557; तारसेम सिंह बनाम। सुखमिंदर सिंह 1998 (3) एससीसी 471: [1998] 1 एस. सी. आर. 456; वेदांत लिमिटेड बनाम गोवा फाउंडेशन और ओआरएस। पुनरीक्षण याचिका (सिविल) 2020 की डायरी संख्या 18447 (9 जुलाई 2021); गोवा फाउंडेशन बनाम। सेसा स्टरलाइट लिमिटेड और अन्य। (2018) 4 एससीसी 218: [2018] 2 एससीआर 361; टी पी मोइदीन कोया बनाम। केरल सरकार (2004) 8 एस. सी. सी. 106: [2004] 4 पूरक।

एस. सी. आर. 904; लूप दूरसंचार और व्यापार सीमित v. भारत का संघ

AND ANDR।

आर. के. गर्ग बनाम भारत संघ (1981) 4 एससीसी 675: [1982]

1 एस. सी. आर. 947-पर निर्भर।

एस टेल प्रा. लिमिटेड वी. भारत संघ 2015 एस. सी. सी. ऑनलाइन

टीडीएसएटी 1-विशिष्ट।

भारत संघ बनाम। करम चंद थापर और ब्रदर्स। (कोयला

सेल्स) लिमिटेड (2004) 3 एससीसी 504 [2004] 2 एससीआर 997;

भारत संघ बनाम। ऑस्पी 5 (2011) 10 एस. सी. सी. 534-निर्दिष्ट

आर. यशोध वर्धन और चित्रा नारायण, पोलक और मुल्ला भारतीय अनुबंध और विशिष्ट राहत अधिनियम

खंड I (16 वां संस्करण, लेक्सिसनेक्सिस)-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

[2012] 3 एससीआर 147

उस पर भरोसा करें

पैरा 1

[2004] 2 एससीआर 997

संदर्भित किया गया है

पैरा 8

VIII

(2011) 10 एस. सी. सी. 534

पैरा 8

(xii)

संदर्भित किया गया है

[2002] 5 पूरक। एससीआर 222

उस पर भरोसा करें

पैरा

28

[2007] 9 एससीआर 285

उस पर भरोसा करें

पैरा

29

[1998] 1 एससीआर 456

उस पर भरोसा करें

पैरा

30

[2018] 2 एससीआर 361

उस पर भरोसा करें

पैरा

33

[2004] 4 पूरक। एससीआर 904

उस पर भरोसा करें

पैरा

33

उस पर भरोसा करें

1954 एससीआर 310

पैरा

42

[1975] 1 एससीआर 703

उस पर भरोसा करें

पैरा

49

[1962] 3 एससीआर 739

उस पर भरोसा करें

पैरा

50

(2019) (19) एस. सी. सी 42

उस पर भरोसा करें

पैरा

51

[1982] 1 एससीआर 947

उस पर भरोसा करें

पैरा

58

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं।

1467 2016 से।

टेल के 16.09.2015 दिनांकित निर्णय और आदेश से

याचिका संख्या में विवाद निपटान अपीलीय न्यायाधिकरण, नई दिल्ली का 451-455। 435-449 और 2012

के साथ 2019

की सिविल अपील संख्या 893।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी, हुज़ेफा अहमदी, वरिष्ठ अधिवक्ता। , सुश्री पारुल

शुक्ला, अमित भंडारी, प्रतीक गुप्ता, सुश्री माधवी अग्रवाल, सुश्री अन्वेशा पाधी, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

विक्रमजीत बनर्जी, एएसजी, अक्षय अमृतांशु, नचिकेता जोशी,

अपूर्व कुरुप, टी. एस. सबरिश, मोहम्मद। अखिल, गुरमीत सिंह मक्कर, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.

अपीलें।

ए.

... . 3 *

वकील की प्रस्तुतियाँ।

बी.

. 7 *

सी. पी. आई. एल. फैसला।

..... 22 *

एस.

..... 31 *

प्रवेश शुल्क की वापसी का दावा।

डी. ई.

टीडीएसएटी का अधिकार क्षेत्र।

..... 34 *

एफ.

यह दावा हताशा और क्षतिपूर्ति पर आधारित था।

. 50 *

बंद करने की नीति।

जी.

..... 65 *

निष्कर्ष।

..... 69 *

एच.

ए द अपील्स

1. दूरसंचार नियामक की धारा 18 के तहत ये अपीलें

भारतीय प्राधिकरण अधिनियम 1997 1 दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण 2 के 16 सितंबर 2015 और 11 दिसंबर 2018 के निर्णयों से उत्पन्न होता है। अपीलार्थी ने 21 सेवा क्षेत्रों के लिए 2 जी लाइसेंस के लिए उसके द्वारा भुगतान किए गए प्रवेश शुल्क (ब्याज सहित) का प्रतिनिधित्व करते हुए 1 करोड़ रुपये के रिफंड का दावा किया। सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन v में इस न्यायालय के निर्णय द्वारा। भारत संघ 3,2 जी अपीलार्थी सहित भारत संघ द्वारा दिए गए लाइसेंस रद्द कर दिए गए। अपीलार्थी दावा करता है कि वह अपने प्रवेश शुल्क की वापसी का हकदार है, जैसा कि वह तर्क देता है, "नागरिक, संविदात्मक और संवैधानिक कानून के अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांतों" पर।

1 " ट्रैक्ट "

2 " टीडीएसएटी "3 3 (2012) 3 एससीसी 1 (" सीपीआईएल ") * पृष्ठांकन मूल निर्णय के अनुसार है।

लूप टेलीकॉम एंड ट्रेडिंग लिमिटेड v. भारत का संघ

AND ANDR। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

2. अपीलार्थी ने 3 सितंबर 2007 को 21 सेवा क्षेत्रों के लिए एकीकृत अभिगम सेवा लाइसेंस के अनुदान के लिए आवेदन किया। आशय पत्र जारी किया गया। अपीलार्थी ने वृत्तवार 1 करोड़ 1 लाख रुपये के प्रवेश शुल्क का भुगतान किया और 21 क्षेत्रों के लिए प्रदर्शन बैंक गारंटी और वित्तीय बैंक गारंटी प्रस्तुत की। अपीलार्थी ने 3 मार्च 2008 को प्रत्यर्थी के साथ 21 सेवा क्षेत्रों के लिए यू. ए. एस. एल. समझौते किए, जो 25 जनवरी 2008 से लागू हुए। यू. ए. एस. एल. समझौतों में निर्धारित शर्तों में, लाइसेंस की अवधि और प्रवेश शुल्क को नियंत्रित करने वाली शर्तें निम्नलिखित शर्तों में थीं:

" 3. लाइसेंस की अवधि

3.1 यह लाइसेंस प्रभावी तिथि से 20 साल की अवधि के लिए वैध होगा जब तक कि निर्दिष्ट कारणों से पहले रद्द नहीं किया जाता है।

दस्तावेज़ में कहीं और।

[.....]

18. भुगतान योग्य शुल्क

18.1 प्रवेश शुल्कः

इस लाइसेंस समझौते पर हस्ताक्षर करने से पहले एल. आई. सी. एन. एस. ई. द्वारा एकमुश्त गैर-वापसी योग्य प्रवेश शुल्क के रूप में 1.1 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है।

3. 2 फरवरी 2012 को, इस अदालत ने सीपीआईएल (उपरोक्त) में अपने फैसले में घोषणा की कि 2 जी के आवंटन के लिए केंद्र सरकार की नीति "पहले आओ पहले पाओ" के आधार पर स्पेक्ट्रम अवैध था। ए के रूप में

परिणामस्वरूप, केंद्र सरकार द्वारा दिए गए यू. ए. एस. एल. एस. को रद्द कर दिया गया। 25 मई 2012 को, अपीलार्थी ने टी. डी. एस. ए. टी. के समक्ष एक याचिका दायर की, जिसमें अन्य बातों के अलावा, ब्याज सहित 1 करोड़ रुपये के प्रवेश शुल्क की वापसी की मांग की गई। अपीलार्थी ने कहा है कि 1 जून 2012 को उसने अपने सभी ग्राहकों को बाहर करने के बाद अपने कार्यों को बंद कर दिया।

4. 16 सितंबर 2015 के अपने फैसले से टी. डी. एस. ए. टी. ने खारिज कर दिया।

प्रथम दूरसंचार याचिका, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह अभिनिर्धारित किया गया है किः

((i)

इस न्यायालय द्वारा अपीलार्थी के लाइसेंस को रद्द करना

सी. पी. आई. एल. (ऊपर) में इसके निर्णय की तुलना यू. ए. एस. एल. समझौतों के अर्थ के भीतर शून्य होने के साथ नहीं की जा सकती है।

4 " यू. ए. एस. एल. "5 2012 की याचिका संख्या 329 (" पहली दूरसंचार याचिका ")

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

भारतीय अनुबंध अधिनियम 18726 की धारा 65। इस अदालत ने यू. ए. एस. एल. को रद्द कर दिया क्योंकि उसने केंद्र सरकार की "पहले आओ पहले सेवा करो" की नीति को अवैध और मनमाना पाया। अतः, अपीलार्थी प्रतिपूर्ति का दावा नहीं कर सकता है। धारा 65 के तहत;

इस न्यायालय द्वारा अपने आदेश में अपीलार्थी के लाइसेंस को रद्द करना।

((ख)

सी. पी. आई. एल. (उपरोक्त) में निर्णय को भारतीय अनुबंध अधिनियम के तहत नहीं लाया जा सकता है, क्योंकि यू. ए. एस. एल. समझौते भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 23 और 56 के तहत अमान्य नहीं हुए थे; और

(iii)

यह मानते हुए भी कि अपीलार्थी के यू. ए. एस. एल. समझौते

डिफेन्डेंटिस (समान गलती में, धारक की स्थिति बेहतर होती है)। प्रवेश शुल्क की वापसी नहीं की जा सकी
जब तक अपीलार्थी के समान अधिकार में होने की संभावना पूरी तरह से समाप्त नहीं हो जाती। जब टीडीएसएटी ने इसे वितरित किया

फैसले में, अपीलार्थी अनुदान से संबंधित मामले में भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 120-बी और 420 के तहत आरोपों के लिए विशेष न्यायाधीश, सी. बी. आई. के समक्ष मुकदमे का सामना कर रहा था।

यूएएसएलएस।

21 दिसंबर 2017 के एक निर्णय द्वारा, अपीलार्थी था

विशेष न्यायाधीश, सी. बी. आई. ने आपराधिक आरोपों से बरी कर दिया। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने बरी किए जाने के आदेश के खिलाफ अपील करने की अनुमति के लिए एक याचिका दायर की है, जो वर्तमान में दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है।

5. 16 सितंबर 2015 के टी. डी. एस. ए. टी. के फैसले से व्यथित होकर, अपीलार्थी ने सिविल अपील संख्या 1447-1467 में इस न्यायालय का रुख किया।

2016. 13 मई 2016 को, अपीलार्थी ने इस न्यायालय से दीवानी अपीलों को वापस लेने और यदि इतना आवश्यक हो जाता है तो एक बार फिर इस न्यायालय से संपर्क करने की स्वतंत्रता मांगी। तदनुसार इस न्यायालय द्वारा अनुमति प्रदान की गई थी।

6. अपीलार्थी ने तब टी. डी. एस. ए. टी. के समक्ष एक और याचिका दायर की, जिसमें प्रवेश शुल्क की वापसी का मुद्दा इस आधार पर उठाया गया कि उसने

6 " भारतीय अनुबंध अधिनियम "1 2018 की दूरसंचार याचिका संख्या 63 (" दूसरी दूरसंचार याचिका ")

विशेष न्यायाधीश, सी. बी. आई. द्वारा बरी कर दिया गया। 11 दिसंबर 2018 के अपने फैसले में, टी. डी. एस. ए. टी. ने दूसरी दूरसंचार याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि अपीलार्थी ने उसी राहत का दावा करने के लिए दूसरा प्रयास किया था जो पहले पहली दूरसंचार याचिका में मांगी गई थी। इसने आगे कहा कि क्या टी. डी. एस. ए. टी. ने अपीलार्थी को प्रदान करने की मांग की थी विशेष न्यायाधीश, सी. बी. आई. के समक्ष मुकदमे के समापन के बाद उससे संपर्क करने का उपाय, उसने अपने निर्णय में इसका संकेत दिया होगा। अंत में, यह भी नोट किया गया कि इस न्यायालय ने 13 मई 2016 के अपने आदेश के माध्यम से अपीलार्थी को टीडीएसएटी से संपर्क करने की अनुमति नहीं दी, बल्कि केवल इस न्यायालय से संपर्क करने की अनुमति दी।

11 दिसंबर 2018 के फैसले ने अपीलार्थी द्वारा दीवानी अपीलों के दूसरे समूह को दायर करने को जन्म दिया है। अपीलार्थी भी

सिविल अपील संख्या 1447-1467 में एक विविध आवेदन स्थानांतरित किया गया 2016 13 मई, 2016 को वापस ली गई पिछली दीवानी अपीलों को फिर से शुरू करने की अनुमति मांगी गई।

7. 7 जनवरी 2020 के एक आदेश द्वारा, विविध

13 मई 2016 के पहले आदेश के आधार पर उत्तरदाताओं की दलीलों सहित सभी दलीलों को खुला रखते हुए दीवानी अपीलों के पहले सेट को फिर से शुरू करने की मांग करने वाले आवेदनों की अनुमति दी गई थी। यह निर्णय तदनुसार सिविल अपीलों के मूल समूह, जो 7 जनवरी 2020 के आदेश के अनुसरण में पुनर्जीवित हैं और सिविल अपीलों के दूसरे समूह, दोनों को नियंत्रित करेगा।

बी वकील की प्रस्तुतियाँ

8. अपीलार्थी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील डॉ. ए. एम. सिंघवी ने निम्नलिखित प्रस्तुतियों का आग्रह किया हैः

चूँकि अपीलार्थी के लाइसेंस रद्द कर दिए गए थे

(1)

सी. पी. आई. एल. (ऊपर) में इस न्यायालय के निर्णय के अनुसार, अपीलार्थी सिविल, संविदात्मक आधार पर अपने प्रवेश शुल्क की वापसी का हकदार है।

और संवैधानिक सिद्धांत;

((ख)

अपीलार्थी ने इसके लिए 1454.94 करोड़ रुपये का प्रवेश शुल्क दिया।

21 सेवा क्षेत्र और लाइसेंस एक के लिए वैध थे

बीस साल की अवधि। अपीलार्थी को रोक दिया गया था

अनुज्ञप्ति के तहत सेवाएँ प्रदान करना क्योंकिः

8 2019 की सिविल अपील संख्या 893 9 2019 [2022] 4 एस. सी. आर. की विविध आवेदन संख्या 198-218

जेपीआरईएमई अदालत की रिपोर्ट

इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि प्रतिवादी का "पहले आओ पहले आओ"

(अ)

लाइसेंस देने के लिए 'सेवा' नीति त्रुटिपूर्ण थी,

मनमाना और अवैध; तथा

परिणामस्वरूप, जो लाइसेंस दिए गए थे

(ख)

उक्त नीति के तहत (के लाइसेंस सहित)

अपीलार्थी) को खारिज कर दिया गया;

ग्रेवबिट); टी. डी. एस. ए. टी. के निर्णय का आधार, जिसने लंबित आपराधिक कार्यवाही को देखते हुए अपीलार्थी के दावे को अस्वीकार कर दिया था, विशेष न्यायाधीश, सी. बी. आई. द्वारा अपीलार्थी को बरी कर दिया गया है।

केंद्र सरकार की सेट ऑफ नीति, के संदर्भ में जिसे प्रवेश शुल्क का एक सेट ऑफ दिया गया था जिसका भुगतान किया गया था

केवल उन संस्थाओं के लिए जिन्होंने नीलामी के नए दौर में भाग लिया जो सी. पी. आई. एल. (उपरोक्त) में इस न्यायालय के फैसले के बाद हुआ था, गलत वर्गीकरण पर आधारित है जिसमें इसके उद्देश्य के लिए बोधगम्य अंतर और संबंध का अभाव है। इसके अलावा, सेट ऑफ नीति स्पष्ट मनमानेपन से ग्रस्त है और भेदभावपूर्ण है। अतः इसे संविधान के अनुच्छेद 14 के उल्लंघन के रूप में निरस्त किया जाना चाहिए।

केंद्र सरकार की सेट ऑफ नीति अनुमति देती है प्रवेश शुल्क के एक सेट ऑफ का अनुदान, हालांकि कुछ बोलीदाताओं के लिए, एक ऋण का प्रवेश है जो देय और देय है:

(क) 12 अक्टूबर 2012 को, प्रतिवादी ने "प्रश्न" जारी किए।

और एन. आई. ए. को जवाब "और प्रवेश शुल्क के संबंध में प्रश्न संख्या 74 के उत्तर में, यह था

निम्नलिखित रूप में वर्णित है:

और सीमित व्यापार v. भारत का संघ

आर. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

" अर्नेस्ट मनी के खिलाफ एक सेट-ऑफ की अनुमति है।

और स्पेक्ट्रम की स्थिति में देय भुगतान

इस नीलामी में जीता गया। कुल राशि

इस तरह का भुगतान कुल प्रवेश शुल्क तक सीमित होगा।

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया गया। कोई ब्याज नहीं इस राशि पर देय होगा।

उन्होंने मंत्रियों के अधिकार प्राप्त समूह 10 की एक बैठक की

18 अक्टूबर 2012, जिस पर एक निर्णय लिया गया था

निम्नलिखित शर्तें हैं:

" 13. ई. जी. ओ. एम. ने दिनांकित पत्र पर विचार किया

12.10.2012 सूचना मंत्री और

प्रवेश शुल्क निर्धारित करने के संबंध में प्रसारण घटना में बकाया राशि और भुगतान

स्पेक्ट्रम जीतने और नोट किया जा रहा है कि प्रविष्टि

टी. एस. पी. द्वारा भुगतान किया गया शुल्क जिनके लाइसेंस रद्द कर दिए गए थे। यह 20 साल की अवधि के लिए था। जबकि एक तरफ,

उम्मीद की जा सकती है कि टी. एस. पी. एस. ने एक पेशेवर भुगतान किया होगा

ब्याज के साथ धनवापसी का दावा हो सकता है शेष अवधि के लिए आनुपातिक राशि।

इसलिए, ई. जी. ओ. एम. ने ऐसी अनुमति देने का फैसला किया

उनके बराबर राशि समायोजित करने के लिए टी. एस. पी.

बिना किसी ब्याज के पूर्ण प्रवेश शुल्क

निष्कर्ष। यह स्पष्ट किया गया कि सेट-ऑफ केवल रद्द किए गए लोगों को ही अनुमति दी जाएगी

नीलामी में भाग लेने वाले लाइसेंस धारक।

इस तरह के सेट-ऑफ की अनुमति इस हद तक दी जाएगी

सभी रद्द किए गए लाइसेंसों के लिए भुगतान किए गए कुल प्रवेश शुल्क का

विचार किए बिना समग्र आधार पर

अनुज्ञप्ति की समाप्त अवधि, केवल तभी जब वे

नीलामी में सफल हों "।

(जोर दिया गया)

जेपीआरईएमई अदालत की रिपोर्ट

सेट ऑफ देने की उपरोक्त नीति के अनुसार,

((ग)

केंद्र सरकार ने टेलीविंग्स (पूर्व में यूनिनॉर), वीडियोकॉन, आइडिया सेल्युलर लिमिटेड और सिस्टेमा श्याम को प्रवेश शुल्क का एक सेट दिया है। में। विशेष रूप से, टेलीविंग्स के खिलाफ गंभीर आपराधिक आरोप होने के बावजूद, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, रोकथाम अधिनियम के तहत आरोप भी शामिल हैं, उसे छूट दी गई है।

भ्रष्टाचार अधिनियम 1988;

यह प्रस्ताव कि भारत संघ की नीति अनुमति देती है

प्रवेश शुल्क के एक सेट ऑफ का अनुदान एक राशि के लिए है

यह स्वीकार करना कि प्रवेश शुल्क की वापसी देय है और

देय, भारत संघ बनाम में इस न्यायालय के निर्णय में समर्थन पाता है। करम चंद थापर और ब्रदर्स। (कोयला बिक्री)

लिमिटेड ";

अपीलार्थी को प्रवेश शुल्क की गैर-वापसी है निम्नलिखित कारणों से भेदभावपूर्णः

स्पेक्ट्रम के लिए देय शुल्क के लिए एक सेट ऑफ

(अ)

उन दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को अनुमति दी गई है जिन्होंने स्पेक्ट्रम में भाग लिया और जीत हासिल की इसके निर्णय के बाद की नीलामी

सी. पी. आई. एल. (ऊपर) में न्यायालय; इससे आठ टीएसपी के लाइसेंस रद्द कर दिए गए।

(ख)

सी. पी. आई. एल. (ऊपर) में अपने निर्णय द्वारा न्यायालय। उक्त आठ टी. एस. पी. के बीच कानून में कोई अंतर या वर्गीकरण नहीं हो सकता है और सभी के लिए समान व्यवहार किया जाना चाहिए। प्रवेश शुल्क की वापसी के लिए बाद की नीलामी में भाग लेने के उनके निर्णय के आधार पर वर्गीकरण भेदभावपूर्ण है और सेट ऑफ नीति द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य के साथ इसका कोई संबंध नहीं है।

((ग)

आठ टीएसपीएस में से चार टीएसपी ने भाग लिया

बाद में नीलामी की गई और नीलामी आवंटित स्पेक्ट्रम के भुगतान के लिए उन्हें अपने प्रवेश शुल्क का एक सेट ऑफ करने की अनुमति दी गई। जिन मामलों में छूट दी गई थी, उनका विवरण इस प्रकार है:

सी 504 एलेकॉम एंड ट्रेडिंग लिमिटेड वी। भारत संघ एन. डी. ए. एन. आर. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

कंपनी का नाम वर्ष की राशि निर्धारित की गई

2 जी में स्थिति

नीलामी

फैसला

मेसर्स टेलीविंग्स

प्रत्यर्थी संख्या 3;

(पूर्व में यूनिनॉर)

नवंबर, 2012

1658.57 करोड़।

5 करोड़ रुपये का जुर्माना

(यूनिटेक को खरीदा

लाइसेंस)

प्रत्यर्थी संख्या 5;

नवंबर, 2012

मेसर्स वीडियोकॉन

1506.82 करोड़।

कोई जुर्माना नहीं लगाया गया

प्रत्यर्थी संख्या 8;

नवंबर, 2012

मेसर्स आइडिया सेल्युलर

684.59 करोड़।

कोई जुर्माना नहीं लगाया गया

प्रत्यर्थी संख्या 10;

मेसर्स सिस्टेमा श्याम

मार्च, 2013 50 करोड़ रुपये का जुर्माना

लाख।

अपीलार्थी सहित शेष चार टी. एस. पी. ने स्पेक्ट्रम के लिए बाद की नीलामी में भाग नहीं लिया। उनका विवरण नीचे सारणीबद्ध किया गया हैः

भुगतान किए गए प्रवेश शुल्क का नाम

2 जी कार्रवाई में स्थिति

प्रवेश शुल्क की वापसी

कंपनी

फैसला

प्रत्यर्थी संख्या 6;

कम राशि के कारण, यह

मेसर्स एस टेल

रिफंड की मांग नहीं की

50 रुपये का जुर्माना

25 करोड़।

प्रा. लि.

प्रवेश शुल्क।

लाख।

प्रत्यर्थी संख्या 9;

कम राशि के कारण, यह

मेसर्स टाटा

रिफंड की मांग नहीं की

5 रुपये का जुर्माना

9 करोड़।

टेलीसर्विसेज

प्रवेश शुल्क।

करोड़।

प्रत्यर्थी संख्या 2;

वापसी का दावा किया गया।

सिविल

मेसर्स एतिसलात

एक लाख रुपये का जुर्माना

5 अपील No.7331/2016

डी. बी. (हंस

1564 करोड़।

लंबित है

दूरसंचार)

करोड़।

दावा

किया।

रिफंड

मेसर्स लूप

प्रत्यर्थी संख्या 10;

वर्तमान सिविल अपील

50 रुपये का जुर्माना

टेलीकॉम लिमिटेड।

1454.94 करोड़।

आदेश के विरुद्ध

(अपीलार्थी)

लाख।

टीडीएसएटी

टी. डी. एस. ए. टी. ने अंतर उपचार प्रदान किया

((घ)

आपराधिक कार्यवाहियों के लंबित होने के कारण अपीलार्थी इसके खिलाफ। किसी भी स्थिति में, यह मैदान अस्तित्व में नहीं है

अपराधी के अपीलार्थी के बरी होने का दृष्टिकोण

विशेष न्यायाधीश द्वारा 21 दिसंबर 2017 को आरोप, सीबीआई। अपीलार्थी के बरी होने के बाद, कोई नहीं है

प्रवेश शुल्क की वापसी से इनकार करने का कारण अपीलार्थी;

सेट ऑफ नीति एक व्यावसायिक इकाई को बाद की नीलामी में भाग नहीं लेने का वाणिज्यिक निर्णय लेने के लिए दंडित करती है। इस [2022] 4 एस. सी. आर. के निर्णय के बाद किसी संस्था को स्पेक्ट्रम की नीलामी में भाग लेना चाहिए था या नहीं।

जेपीआरईएमई अदालत की रिपोर्ट

सी. पी. आई. एल. (ऊपर) में न्यायालय पूरी तरह से उनमें से प्रत्येक को निर्धारित करने के लिए था और यह एक सेट ऑफ देने या अस्वीकार करने का आधार नहीं बन सकता है। अपीलार्थी को प्रवेश शुल्क की गैर-वापसी स्पष्ट मनमानेपन से ग्रस्त हैः

(अ)

सेट ऑफ नीति के बीच एक अलग वर्ग बनाता है। इसी तरह रखे गए टी. एस. पी. जिनके लाइसेंस रद्द कर दिए गए थे, इस आधार पर कि किसी बोलीदाता या संस्था ने नई नीलामी में भाग लेने के लिए चुना है या नहीं; और

(ख)

एक व्यावसायिक संस्था के पास ऐसा न करने के वैध कारण हो सकते हैं

नई नीलामी में भाग लें, जिसके लिए इसे दंडित नहीं किया जा सकता है;

अपीलार्थी को प्रत्यर्थी के गलत काम के लिए दंडित नहीं किया जाना चाहिएः

(अ)

सी. पी. आई. एल. (ऊपर) के फैसले में इस अदालत ने कहा कि दूरसंचार लाइसेंस देने के लिए केंद्र सरकार की "पहले आओ पहले सेवा करो" नीति त्रुटिपूर्ण, मनमाना और अवैध थी।

इस अदालत ने आगे 5 करोड़ रुपये का खर्च लगाया।

(ख)

इससे पहले के वे लाइसेंस धारक जिन्होंने सरकारी खजाने की कीमत पर लाभ उठाया था और इक्विटी के नए निवेश या हस्तांतरण के नाम पर हजारों करोड़ रुपये में अपनी हिस्सेदारी बेच दी थी। दूसरी ओर, उन लाइसेंस धारकों (अपीलार्थी सहित) पर केवल 50 लाख रुपये की लागत लगाई गई थी, जिन्हें कथित तौर पर विभाग की पूरी तरह से मनमाना और असंवैधानिक कार्रवाई से लाभ हुआ था। यू. ए. एस. एल. के अनुदान और 2 जी स्पेक्ट्रम बैंड के आवंटन के लिए दूरसंचार। अतः, खारिज करने के लिए अपीलार्थी को कोई भूमिका नहीं दी गई थी

उसके लाइसेंस;

((ग)

किसी भी स्थिति में, अपीलार्थी को बरी कर दिया गया है। विशेष द्वारा 21 दिसंबर 2017 को आपराधिक आरोप

न्यायाधीश, सी. बी. आई.; एम. और व्यापार सीमित V. भारत का संघ

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

अन्यथा भी, आपराधिक कार्यवाही का लंबित होना दीवानी कार्यवाही के साथ आगे बढ़ने में बाधा नहीं है; और

अपीलार्थी द्वारा भुगतान किए गए प्रवेश शुल्क को हड़पकर अन्यायपूर्ण रूप से खुद को समृद्ध करना। अन्यायपूर्ण संवर्धन के सिद्धांत में अंतर्निहित सिद्धांतों को विधिवत पूरा किया जाता है वर्तमान मामला;

भारतीय अनुबंध अधिनियम के प्रावधान होंगे - अपीलार्थी के दावे के लिए केबलः

टीडीएसएटी ने गलत तरीके से कहा है कि लाइसेंस थे

भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 की धारा 4 (1) के प्रावधान के तहत दिया गया लाइसेंस सरकार और उसके लाइसेंसधारियों के बीच एक अनुबंध की प्रकृति का है। इस प्रस्ताव को इस निर्णय में समर्थन मिलता है। भारत संघ में न्यायालय बनाम। ऑस्पी 1 5;

एक बार जब अनुबंधों को अमान्य माना जाता है और सीपीआईएल (उपरोक्त) में रद्द कर दिया जाता है, तो भारतीय अनुबंध अधिनियम में जिन परिणामों की परिकल्पना की गई है, उनका पालन करना चाहिए। जब कोई अनुबंध अमान्य पाया जाता है, तो अनुबंध के तहत एक पक्ष द्वारा प्राप्त लाभ/लाभ दूसरे पक्ष को वापस कर दिया जाना चाहिए। अपीलार्थी, जब उसने प्रत्यर्थी के साथ अनुबंध किया, तो उसे इस तथ्य की जानकारी नहीं थी कि केंद्र सरकार की "पहले आओ पहले सेवा करो" नीति को इस न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया जाएगा। इससे पहले केंद्र सरकार ने अपनी नीति का बचाव किया था

न्यायालय, और इसलिए प्रवेश शुल्क वापस करने का निर्देश दिया जाना चाहिए;

(“ ऑस्पी ")

जेपीआरईएमई अदालत की रिपोर्ट

किसी भी विधायी हस्तक्षेप के अभाव में

(ई)

धनवापसी के अनुदान को छोड़कर, पक्षों के अधिकार अनुबंध के कानून द्वारा शासित होंगे। इस प्रकार, धारा 56 के तहत हताशा का सिद्धांत और भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 65 के तहत बहाली का सिद्धांत आकर्षित होगा

वर्तमान मामला;

न्यायिक आदेश घोषणात्मक और पूर्वव्यापी होते हैं।

(च)

प्रकृति। सी. पी. आई. एल. (उपरोक्त) में निर्णय लाइसेंसों की वैधता से संबंधित है। लाइसेंस रद्द किए जाने से पहले अपीलार्थी के पास केवल छह हजार ग्राहक थे और वह इसे लागू करने के चरण में था और

निवेश पूंजी जिसके परिणामस्वरूप उसे कोई महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त नहीं हुआ; चूँकि लाइसेंस एक प्रतिनिधित्व पर प्रदान किए गए थे

(जी)

कि उनका कार्यकाल बीस साल का होगा लेकिन

केंद्र सरकार की त्रुटिपूर्ण नीति के कारण चार वर्षों के भीतर अमान्य घोषित किए गए थे, अपीलार्थी ब्याज के साथ प्रवेश शुल्क की वापसी का हकदार होगा;

और प्रत्यर्थी पर भरोसा करने से वंचित किया जाता है

(ज)

यू. ए. एस. एल. दिशानिर्देश और यू. ए. एस. एल. समझौते, जो

बशर्ते कि प्रवेश शुल्क वापसी योग्य न हो। यह है। क्योंकि लाइसेंस या तो अपीलार्थी की ओर से चूक या इसे वापस लेने के कारण रद्द नहीं किए गए थे, बल्कि केंद्र सरकार की नीति के कारण रद्द किए गए थे

अवैध और मनमाना पाया गया; और

भुगतान के संबंध में इस न्यायालय के निर्णय 1 6 16 समायोजित सकल राजस्व की कोई प्रासंगिकता नहीं है

वर्तमान मामला।

श्री विक्रमजीत बनर्जी, विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल, की ओर से अनुरोध किए गए प्रस्तुतिकरण प्रस्तुत करते हुए,

भारत संघ की ओर से निम्नलिखित आग्रह किया गया हैः :

दिया वी। एसोसिएशन ऑफ यूनिफाइड टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स ऑफ इंडिया और 3 एस. सी. सी. 525; और यूनियन ऑफ इंडिया बनाम। एसोसिएशन ऑफ यूनिफाइड टेलीकॉम डर्स ऑफ इंडिया एंड ओआरएस। , 2015 की सिविल अपील संख्या 6328-6399 एल. ई. सी. ओ. एम. और व्यापार सीमित v.

यूनियन ऑफ इंडिया डैनर। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

अपीलार्थी द्वारा भुगतान किया गया प्रवेश शुल्क विशेष रूप से यू. ए. एस. एल. दिशानिर्देशों द्वारा गैर-वापसी योग्य बनाया गया है जो डी. ओ. टी. द्वारा 14 दिसंबर 2005 को जारी किए गए थे। एक बार जब 21 सेवा क्षेत्रों के लिए अपीलार्थी को आशय पत्र जारी कर दिए गए, तो अपीलार्थी ने प्रत्येक सर्कल के लिए प्रवेश शुल्क जमा कर दिया।

10 जनवरी को यू. ए. एस. एल. दिशानिर्देशों के अनुसार

इसके बाद। यू. ए. एस. एल. समझौते जो केंद्र सरकार और अपीलार्थी के बीच 4 पर किए गए थे। मार्च 2008 में स्पष्ट रूप से विचार किया गया कि प्रवेश शुल्क एक बार का गैर-वापसी योग्य शुल्क था। प्रवेश शुल्क गैर-वापसी योग्य प्रकृति का होने के कारण, अपीलार्थी अब धनवापसी की मांग नहीं कर सकता है;

(ऊपर)। इस न्यायालय के फैसले में अपीलार्थी सहित लाइसेंसधारियों को दिए गए लाइसेंस और स्पेक्ट्रम आवंटन की वैधता की जांच की गई। सी. पी. आई. एल. (ऊपर) के फैसले में पाया गया कि लाइसेंसधारियों ने वरीयता प्राप्त करने के लिए तत्कालीन प्रभारी मंत्री के साथ-साथ डी. ओ. टी. के कुछ अधिकारियों तक अनुचित तरीके से पहुंच प्राप्त की थी। इस अदालत ने पाया कि लाइसेंसों का अनुदान विशिष्ट पक्ष के लिए "चरण-प्रबंधित" था। अपीलार्थी सहित अनुज्ञप्तिधारी, जिनके परिणामस्वरूप उन पर 50 लाख रुपये की लागत भी लगाई गई थी;

अपीलार्थी को दिए गए यू. ए. एस. एल. को रद्द करने वाले सी. पी. आई. एल. (उपरोक्त) के फैसले के बाद, अपीलार्थी टी. आर. ए. आई. अधिनियम की धारा 14 (1) (ए) के उद्देश्यों के लिए लाइसेंसधारी नहीं रह गया है, जो टी. डी. एस. ए. टी. को विवादों पर निर्णय लेने का अधिकार देता है। एक लाइसेंसधारी और एक लाइसेंसधारी के बीच। टी. डी. एस. ए. टी. के पास धारा 14 (1) (ए) के प्रावधानों के तहत अधिकार क्षेत्र नहीं था।

किसी भी मामले में, टी. डी. एस. ए. टी. ने अपने 16 तारीख के फैसले से

सितंबर 2015 ने धनवापसी के लिए अपीलार्थी के दावे को खारिज कर दिया इस आधार पर कि यह ऐसा करने में अक्षम था, लाइसेंस [2022] 4 एस. सी. आर.

इस न्यायालय के निर्णय द्वारा रद्द कर दिया गया है। दीवानी अपीलों के पहले समूह में इस न्यायालय का रुख करने के बाद, अपीलार्थी

13 मई 2016 को दीवानी अपीलों को वापस ले लिया गया, हालांकि इस अदालत को फिर से स्थानांतरित करने की स्वतंत्रता के साथ, यदि यह इतना आवश्यक हो गया। इस प्रकार, 13 मई 2016 के आदेश को देखते हुए, अपीलकर्ता केवल इस न्यायालय का रुख कर सकता था, न कि टीडीएसएटी का। हालाँकि, इसने टी. डी. एस. ए. टी. के समक्ष दूसरी दूरसंचार याचिका दायर की। टी. डी. एस. ए. टी. ने 11 दिसंबर 2018 के अपने फैसले में समान राहत का दावा करने के लिए अपीलार्थी के दूसरे प्रयास को खारिज कर दिया, क्योंकि यह अनिवार्य रूप से एक

सी. पी. आई. एल. (ऊपर) में निर्णय की समीक्षा। इस प्रकार, दूसरी दूरसंचार याचिका दायर करना न केवल ट्राई अधिनियम की धारा 14 के विपरीत था, बल्कि इस न्यायालय के 13 मई 2016 के आदेश के पाठ और भावना का भी उल्लंघन था। ई. जी. ओ. एम. का 31 अक्टूबर 2012 का निर्णय

नीलामी के नए दौर में भाग लेने वाले और सफल पाए जाने वाले बोलीदाताओं को टी. एस. पी. को एक बार की रियायत दी गई थी, जिनके लाइसेंस थे - यह सुनिश्चित करने के लिए कि उपभोक्ताओं को दूरसंचार सेवाएं निर्बाध रूप से प्रदान की जा रही हैं, पहले रद्द कर दिया गया था। सी. पी. आई. एल. (ऊपर) में निर्णय लाइसेंसधारियों को बाद की नीलामी में भाग लेने से नहीं रोकता था। चूंकि प्रवेश शुल्क

सी. पी. आई. एल. (उपरोक्त) में निर्णय द्वारा कवर किए गए लाइसेंसधारियों द्वारा भुगतान किए गए धन को वापस नहीं किया जा सकता था, ई. जी. ओ. एम. ने सफल घोषित होने की स्थिति में बाद की नीलामी में अपने प्रवेश शुल्क को समायोजित करने का निर्णय लिया। ऐसा माना जाता था कि इससे बाद की नीलामी में सभी टी. एस. पी. की भागीदारी को बढ़ावा मिलेगा और उच्च मूल्य की खोज की संभावना बढ़ जाएगी, जिससे अंततः सरकारी खजाने को लाभ होगा। यह बंद करने की नीति अपीलार्थी सहित सी. पी. आई. एल. (ऊपर) में निर्णय द्वारा कवर किए गए सभी लाइसेंसधारियों पर समान रूप से लागू की गई थी, और इस प्रकार यह भेदभावपूर्ण नहीं है। सी. पी. आई. एल. (ऊपर) में निर्णय द्वारा कवर किए गए किसी भी टी. एस. पी. को मजबूर नहीं किया गया था।

डीओटी सेट ऑफ नीति के आधार पर। बल्कि, नीति ने केवल बाद में भागीदारी बढ़ाने की मांग की। यदि वे नई नीलामी में सफल होते हैं, तो पहले से भुगतान किए गए प्रवेश शुल्क के सेट ऑफ के रूप में रियायत की पेशकश करके नीलामी।

एक नीतिगत निर्णय होने के नाते लूप टेलीकॉम और व्यापार सीमित v। भारत का संघ

AND ANDR। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

उद्योग विशिष्ट मुद्दों को शामिल करते हुए, इस न्यायालय को संघ के इस निर्णय में हस्तक्षेप करने में सावधानी बरतनी चाहिए

सरकार;

(vi) आपराधिक मामले में अपीलार्थी के प्रवर्तकों को बरी करने का प्रवेश शुल्क की वापसी पर कोई असर नहीं पड़ता है। विशेष न्यायाधीश, सी. बी. आई. द्वारा अपीलार्थी के प्रवर्तकों को बरी करने का फैसला केवल कथित मामले से संबंधित था।

डीओटी द्वारा जारी यूएएसएल दिशानिर्देशों के खंड 8 का उल्लंघन। बरी किए जाने का सी. पी. आई. एल. (उपरोक्त) में इस न्यायालय के निष्कर्षों पर कोई असर नहीं पड़ता है, जिसके अनुसार यू. ए. एस. एल. और स्पेक्ट्रम के आवंटन को "चरणबद्ध तरीके से प्रबंधित" और सार्वजनिक कानून के सिद्धांतों का उल्लंघन माना गया था। यह रोकता है

अपीलार्थी को किसी भी धनवापसी या प्रतिपूर्ति का दावा करने से; और

(vii) वास्तव में, सी. पी. आई. एल. (उपरोक्त) में इस न्यायालय के फैसले ने अपीलार्थी पर पूरी तरह से मनमाने तरीके से गलत तरीके से लाभ उठाने के लिए 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है और

लाइसेंस और स्पेक्ट्रम आवंटन का असंवैधानिक अभ्यास। नतीजतन, अनुबंध कानून के तहत भी, अपीलकर्ता को समान अधिकार के सिद्धांत के आधार पर किसी भी धनवापसी या प्रवेश शुल्क की बहाली का दावा करने से वंचित कर दिया जाता है।

10. प्रत्युत्तर में की गई दलीलों में डॉ. ए. एम. सिंघवी और विद्वान वरिष्ठ वकील श्री हुज़ेफा ए. अहमदी दोनों ने प्रस्तुत किया है कि

सी. पी. आई. एल. (ऊपर) में निर्णय स्पष्ट रूप से या निहित रूप से प्रतिबंधित नहीं करता है

प्रवेश शुल्क की वापसी। वास्तव में, टी. डी. एस. ए. टी. ने माना कि इस न्यायालय का निर्णय धनवापसी को रद्द करने में निर्णायक नहीं था। द.

सी. पी. आई. एल. (उपरोक्त) में निर्णय 17 मार्च 2011 को सुरक्षित रखा गया था और 2 फरवरी 2012 को दिया गया था, और किसी भी वादी द्वारा लाइसेंस को रद्द करने पर विचार नहीं किया जा सकता था। सैद्धांतिक रूप से, भले ही इस न्यायालय के समक्ष क्षतिपूर्ति का दावा किया जा सकता था

इस अवस्था में, अपीलार्थी इससे पहले दावा करने से वंचित नहीं है।

वर्तमान कार्यवाही में न्यायालय। इसके अलावा, धारा 14 और 15

टी. आर. ए. आई. अधिनियम टी. डी. एस. ए. टी. के समक्ष पूर्ण समाधान प्रदान करता है। इसलिए,

अपीलार्थी ने फैसले के कुछ हफ्तों के भीतर टीडीएसएटी को स्थानांतरित कर दिया सी. पी. आई. एल. (ऊपर)। यह आग्रह किया गया कि रचनात्मक प्रतिरोध के सिद्धांतों के लिए

न्यायपालिका को लागू करने के लिए, बार स्पष्ट रूप से स्पष्ट होना चाहिए। जनहित में

मुकदमे की याचिका, के सिद्धांतों को लागू करना उचित नहीं होगा

प्रत्यर्थी (यहाँ अपीलार्थी) के खिलाफ रचनात्मक न्यायनिर्णायक एक असाधारण मामले में बचत करें। उपरोक्त प्रस्तुतियों के बारे में विस्तार से बताते हुए श्री.

हुज़ेफ़ा अहमदी ने आग्रह किया किः

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

क्षतिपूर्ति का दावा करने का अधिकार तभी उत्पन्न होगा जब

(1)

इस न्यायालय द्वारा लाइसेंस रद्द कर दिए गए थे और इसलिए, सी. पी. आई. एल. (ऊपर) में निर्णय रचनात्मक निर्णय के रूप में काम नहीं करता है।

न्यायपालिका;

((ख)

जनहित में इस न्यायालय के समक्ष मांगी गई राहत

संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत याचिका जिसके कारण सी. पी. आई. एल. (ऊपर) में निर्णय नीलामी और हर्जाने को अलग करना था। इस न्यायालय ने नुकसान नहीं दिया

जबकि यह लाइसेंसधारियों पर लागत लगाता है। इसलिए, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 11 के संदर्भ में, हर्जाने के लिए अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया माना जाना चाहिए; और

(111) सी. पी. आई. एल. (ऊपर) में अंतिम निर्देश यह था कि इसकी टिप्पणियाँ अन्य कार्यवाहियों पर लागू नहीं होंगी और

इसलिए, इसके तहत अन्य अधिकारों को बंद करने का कोई इरादा नहीं था

कानून।

इन परिसरों को ध्यान में रखते हुए, यह आग्रह किया गया है कि अनुच्छेद 32 के तहत याचिका, जिसके कारण सी. पी. आई. एल. (ऊपर) में निर्णय लिया गया था, प्रवेश शुल्क का ज़ब्त और इसलिए, रचनात्मक शुल्क के सिद्धांत

जुडिकाटा को कोई आवेदन नहीं मिलेगा। इस अदालत ने लागू किया है

लाइसेंसधारियों के एक समूह पर 5 करोड़ रुपये और दूसरे पर 50 लाख रुपये की लागत अनुज्ञप्तिधारियों का समूह (जिसमें अपीलार्थी शामिल है), यह पूरी तरह से होगा

अनुपस्थिति में 1454.94 करोड़ रुपये की राशि को ज़ब्त करने के लिए अनुपातहीन

इस न्यायालय के पूर्व निर्णय के संदर्भ में एक निहित ज़ब्ती का।

11. प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों का अब विश्लेषण किया जाएगा।

सी. सी. पी. आई. एल का फैसला

12. इस न्यायालय का निर्णय, जो 2 फरवरी 2012 को दिया गया था, संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत याचिकाओं से उत्पन्न हुआ था। द.

याचिकाओं में निजी उत्तरदाताओं को यूएएसएल के अनुदान पर सवाल उठाया गया था

वे कार्यवाहियाँ (जिनमें अपीलार्थी भी शामिल था), इस आधार पर कि डीओटी द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया मनमाना, अवैध और उल्लंघन करने वाली थी

संविधान का अनुच्छेद 14। चुनौती के आधारों में, यह था

आग्रह किया किः

((i)

25 सितंबर 2007 की कटौती के बाद से विचार के लिए निर्धारित किया गया है।

आवेदनों को दिल्ली उच्च न्यायालय (जिसे इस न्यायालय द्वारा अनुमोदित किया गया था), ऑप टेलीकॉम एंड ट्रेडिंग लिमिटेड v द्वारा मनमाना माना गया था।

AND ANDR। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री के अनुमोदन से डीओटी द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया उत्तरदायी थी

मनमाना और अवैध घोषित किया जाना;

((ख)

डीओटी ने की गई सिफारिशों का उल्लंघन किया था भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण 1 8 ने कहा कि किसी भी क्षेत्र में सेवा प्रदाताओं की संख्या की कोई सीमा नहीं होनी चाहिए।

सेवा क्षेत्र;

(iii)

जैसा कि नियंत्रक और लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है

सामान्य तौर पर, बड़ी संख्या में अपात्र आवेदनों पर विचार करना और उन्हें लाइसेंस देना अवैध और मनमाना था।

(iv) लाइसेंस देने के लिए डीओटी द्वारा अपनाई गई विधि थी -

त्रुटिपूर्ण क्योंकि यह ट्राई द्वारा की गई सिफारिशों पर आधारित थी, जो मनमाने ढंग से और जनता के विपरीत थीं ब्याज ,
क्योंकि उन्होंने 2001 में निर्धारित प्रवेश शुल्क पर लाइसेंस देने की सिफारिश की थी;

(v)

लाइसेंस प्रदान करते समय जो इसके साथ बंडल किए गए थे 2001 में तय की गई कीमत पर स्पेक्ट्रम, डीओटी ने किया

वित्त मंत्रालय से परामर्श नहीं किया और 2003 में मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए निर्णय का उल्लंघन किया;

(vi) "पहले आओ पहले सेवा करो" नीति ने अनुच्छेद 14 का उल्लंघन किया, और तत्कालीन संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री द्वारा इसे विकृत किया गया और इसके परिणामस्वरूप

लाइसेंस रद्द किए जाने योग्य थे; और

(vii) केंद्र सरकार ने कई लाइसेंसधारियों के लाइसेंस रद्द करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की, जो रोल आउट दायित्वों को पूरा करने में विफल रहे और लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन किया।

13. चुनौती के आधारों से निपटने के दौरान, इस न्यायालय ने इस बात को रेखांकित किया कि रम जैसे प्राकृतिक संसाधन सार्वजनिक वस्तुएं हैं और समानता और सार्वजनिक विश्वास के सिद्धांत हैं

उनके लिए वास्तविक तंत्र निर्धारित करने में राज्य का मार्गदर्शन करें

ब्युटियन। ट्राई द्वारा अपनाए गए तर्क का विश्लेषण करने के बाद

2001 के आधार पर 2 जी स्पेक्ट्रम के आवंटन में सुधार करना।

5 , इस न्यायालय ने निर्णय दियाः एआई "

" 91. कम से कम कहने के लिए, ट्राई द्वारा अपनाया गया पूरा दृष्टिकोण एकतरफा था और परिषद द्वारा लिए गए निर्णय के विपरीत था। मंत्री और उनकी सिफारिशें तत्कालीन संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री और दूरसंचार विभाग के अधिकारियों के लिए एक उपाय बन गईं, जिन्होंने प्रधानमंत्री, वित्त मंत्रालय और इसके अपने कुछ अधिकारियों सहित विभिन्न वर्गों से उठाई गई चिंताओं को जानबूझकर नजरअंदाज करके महत्वपूर्ण राष्ट्रीय संपत्ति को कम कीमत पर उपहार में दे दिया। यह इस तथ्य से स्पष्ट हो जाता है कि लाइसेंस प्राप्त करने के तुरंत बाद, कुछ लाभार्थियों ने विदेशी कंपनियों द्वारा इक्विटी के हस्तांतरण या नई पूंजी डालने के नाम पर दूसरों को अपनी हिस्सेदारी बेच दी, और इस तरह भारी लाभ कमाया। हमें इस बात में कोई संदेह नहीं है कि अगर लाइसेंस देने के लिए नीलामी का तरीका अपनाया गया होता, जो राष्ट्रीय संपत्ति के वितरण का एकमात्र तर्कसंगत पारदर्शी तरीका हो सकता था, तो देश हजारों लोगों से समृद्ध होता।

करोड़ "।

14. इस अदालत ने "पहले आओ पहले सेवा" में एक बुनियादी दोष पाया, जिसमें कहा गया थाः

दुर्घटना। अनुबंध देने या लाइसेंस देने या सार्वजनिक संपत्ति का उपयोग करने की अनुमति से जुड़े मामलों में, पहले आओ पहले पाओ नीति का आह्वान स्वाभाविक रूप से खतरनाक निहितार्थ रखता है। कोई भी व्यक्ति जिसकी उच्चतम या निम्नतम स्तर पर बिजली गलियारे तक पहुंच है, वह सरकारी फाइलों या राज्य की एजेंसी/साधनों की फाइलों से जानकारी प्राप्त कर सकता है कि किसी विशेष सार्वजनिक संपत्ति या संपत्ति का निपटान होने की संभावना है या कोई अनुबंध दिए जाने की संभावना है या कोई लाइसेंस या अनुमति दिए जाने की संभावना है, वह तुरंत एक आवेदन करेगा और कीमत पर कतार में पहले स्थान पर खड़ा होने का हकदार होगा।

अन्य सभी जिनके पास बेहतर दावा हो सकता है।

15. इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि नीलामी उचित प्रचार के बाद आयोजित की गई

प्राकृतिक संसाधनों के अलगाव में समानता सुनिश्चित करने वाली संवैधानिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए शायद सबसे अच्छा तरीका है। एक तंत्र की अनुपस्थिति में, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि प्राकृतिक संसाधनों/सी संपत्ति के अलगाव का अनैतिक लोगों द्वारा दुरुपयोग किए जाने की संभावना है जो अधिकतम वित्तीय लाभ प्राप्त करने में रुचि रखते हैं और संस्थागत लोकाचार और मूल्यों का कोई सम्मान नहीं करते हैं।

ऑप टेलीकॉम एंड ट्रेडिंग लिमिटेड v. भारत का संघ

AND ANDR। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

16. अपने निर्णय के दौरान, इस न्यायालय ने बिना किसी अनिश्चितता के यह निर्णय दिया कि तत्कालीन संचार और सूचना मंत्रीनॉलॉजी ने जनता की कीमत पर कुछ कंपनियों के पक्ष में काम किया था

बराबरः

" 97. तत्कालीन संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री के नेतृत्व में सितंबर 2007 और मार्च 2008 के बीच डीओटी के अधिकारियों द्वारा की गई कवायद

समानता के सिद्धांत का उल्लंघन करने के अलावा पूरी तरह से मनमाना, मनमौजी और सार्वजनिक हित के विपरीत है। सामग्री.

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी सरकारी खजाने की कीमत पर कुछ कंपनियों का पक्ष लेना चाहते थे और इसके लिए इस उद्देश्य से, उन्होंने निम्नलिखित कदम उठाएः

(i) संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री के रूप में उनकी नियुक्ति के तुरंत बाद, उन्होंने निर्देश दिया कि यू. ए. एस. लाइसेंस देने के लिए प्राप्त सभी आवेदनों को तब तक लंबित रखा जाना चाहिए जब तक कि

टी. आर. ए. आई. की सिफारिशों की प्राप्ति। (ii) TRAI द्वारा 28-8-2007 पर की गई सिफारिशों को पूर्ण दूरसंचार आयोग के समक्ष नहीं रखा गया था, जिसमें अन्य बातों के अलावा, वित्त सचिव भी शामिल होते। दूरसंचार आयोग की बैठक का नोटिस किसी भी गैर-स्थायी सदस्य को इस तथ्य के बावजूद नहीं दिया गया था कि सिफारिशें

2 जी बैंड में स्पेक्ट्रम के आवंटन के लिए ट्राई द्वारा किए गए कार्यों के गंभीर वित्तीय निहितार्थ थे। यह इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अभिवचनों और अभिलेखों से स्थापित किया गया है जो दर्शाते हैं कि लाइसेंस जारी करने के बाद, 3 आवेदकों ने विदेशी कंपनियों के पक्ष में कुल 24,493 करोड़ रुपये की राशि के लिए अपने शेयर हस्तांतरित किए। इसलिए, डीओटी के लिए सरकार की आवश्यकता के अनुसार वित्त मंत्रालय की राय लेना नितांत आवश्यक था

भारत सरकार (व्यवसाय का लेनदेन) नियम, 1961।

(iii) 10-10-2007 पर आयोजित दूरसंचार आयोग की बैठक में भाग लेने वाले दूरसंचार विभाग के अधिकारियों के पास ट्राई द्वारा की गई सिफारिशों को मंजूरी देने के अलावा शायद ही कोई विकल्प था। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया होता तो उन्हें संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री के गुस्से का सामना करना पड़ता।

(iv) 2003 में मंत्रिपरिषद द्वारा मंत्रियों के समूह द्वारा की गई सिफारिशों के अनुमोदन को देखते हुए, डीओटी [2022] 4 एस. सी. आर.

स्पेक्ट्रम मूल्य निर्धारण के मुद्दे पर वित्त मंत्रालय के साथ चर्चा करनी थी। इसलिए, ट्राई की सिफारिशों के अनुच्छेद 2.78 और 2.79 के संदर्भ में कोई भी निर्णय लेने से पहले डीओटी वित्त मंत्रालय को शामिल करने के लिए बाध्य था। हालाँकि, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री के रूप में इस तथ्य के प्रति बहुत सचेत थे कि

वित्त सचिव ने 2001 में निर्धारित दरों पर 2 जी स्पेक्ट्रम के आवंटन पर आपत्ति जताई थी, उन्होंने वित्त मंत्री या वित्त मंत्रालय के अधिकारियों से परामर्श नहीं किया था।

(v) संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने मामले को मंत्रियों के अधिकार प्राप्त समूह के समक्ष रखने के लिए कानून और न्याय मंत्री द्वारा दिए गए सुझाव को दरकिनार कर दिया। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री द्वारा 2007 के अपने पत्र में स्पेक्ट्रम की अपर्याप्तता को ध्यान में रखते हुए दिए गए सुझाव की प्राप्ति के कुछ घंटों के भीतर,

मामले में पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखी जानी चाहिए संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने यह कहते हुए इसे खारिज कर दिया कि नए आवेदकों को स्पेक्ट्रम की नीलामी करना अनुचित, भेदभावपूर्ण, मनमाना और मनमाना होगा क्योंकि इससे उन्हें समान अवसर नहीं मिलेगा।

(vi) संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने लाइसेंस देने के लिए प्राप्त आवेदनों पर विचार करने के लिए कट-ऑफ तिथि को 25-9-2007 के रूप में पेश किया, इस तथ्य के बावजूद कि इससे केवल एक दिन पहले, आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि के रूप में 1-10-2007 तय करते हुए दूरसंचार विभाग द्वारा एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई थी। संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री की यह मनमाना कार्रवाई हालांकि हानिरहित प्रतीत होती है, वास्तव में कुछ रियल एस्टेट कंपनियों को लाभ हुआ जिनके पास दूरसंचार सेवाओं से निपटने का कोई अनुभव नहीं था और जिनके पास था संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री द्वारा अपने दम पर निर्धारित कट ऑफ तिथि से एक दिन पहले केवल 24-9-2007 पर आवेदन किए गए।

आई. डी. 1 तक सार्वजनिक नहीं किया गया और पहले आओ पहले पाओ की नीति, जिसका पालन 2003 से किया जा रहा था, को उन्होंने 7 तारीख को बदल दिया। 1-2008 और दिनांकित 10-1-2008 प्रेस विज्ञप्ति में शामिल किया गया था। इसने कुछ आवेदकों को सक्षम बनाया, जिनके पास या तो ओ. पी. टेलीकॉम और ट्रेडिंग लिमिटेड वी. तक पहुंच थी।

भारत का संघ

AND ANDR। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

मंत्री या डी. ओ. टी. के अधिकारी शर्तों के अनुपालन के लिए डिमांड ड्राफ्ट, बैंक गारंटी आदि पहले से तैयार करवाएँ एल. ओ. एल., जो लाइसेंस देने और स्पेक्ट्रम के आवंटन के लिए वरिष्ठता के निर्धारण का आधार था।

(viii) लाइसेंस देने और स्पेक्ट्रम के मूल्य निर्धारण से संबंधित मुद्दों पर विचार करने के लिए पूर्ण दूरसंचार आयोग की बैठक, जो 9-1-2008 पर आयोजित होने वाली थी, जानबूझकर की गई थी। 7-1-2008 पर स्थगित कर दिया गया ताकि सचिव, वित्त और

तीन अन्य महत्वपूर्ण विभागों के सचिव सक्षम नहीं हो सकते हैं

समान अवसर के सिद्धांत को लागू करके लाइसेंस देने और स्पेक्ट्रम के आवंटन के लिए दूरसंचार विभाग द्वारा तैयार की गई प्रक्रिया के खिलाफ आपत्तियां उठाना। (ix) जिस तरह से आवेदकों को एल. ओ. एल. प्रदान करने की कवायद 10-1-2008 पर आयोजित की गई थी, उसमें कोई संदेह नहीं है कि सब कुछ उन लोगों के पक्ष में था जो पहले आओ-पहले पाओ नीति के कार्यान्वयन में बदलाव को पहले से जानने में सक्षम थे। इसके परिणामस्वरूप, 2004 या 2006 में आवेदन जमा करने वाली कुछ कंपनियों को प्राथमिकता में नीचे धकेल दिया गया और जिन्होंने अगस्त और सितंबर 2007 के बीच आवेदन किया था, वे प्राथमिकता के आधार पर स्पेक्ट्रम के आवंटन के लिए अधिक वरिष्ठता प्राप्त करने में सफल रहे।

यह मंत्री और व्यावसायिक संस्थाओं के बीच मिलीभुगत का एक स्पष्ट संकेत है जिसके आधार पर वह पक्ष लेने के लिए काम कर रहे थे

पहले आओ पहले सेवा करो नीति।

17. इस अदालत ने पाया कि "सब कुछ व्यवस्थित था -

और वे जो पहले से ही परिवर्तन को जानने में सक्षम थेपहले आओ पहले पाओ की नीति को लागू करना। यह उपरोक्त निष्कर्ष की बूंद में था कि इस न्यायालय ने निम्नलिखित जारी कियाः

आयनः

" 102. परिणामस्वरूप, रिट याचिकाओं की अनुमति निम्नलिखित में दी गई हैः

शर्तेंः

(i) 10 1-2008 पर जारी दो प्रेस विज्ञप्ति और उसके बाद लाइसेंसधारियों को स्पेक्ट्रम के आवंटन के अनुसार 10 1-2008 पर या उसके बाद निजी उत्तरदाताओं को दिए गए लाइसेंस घोषित किए जाते हैं।

अवैध और रद्द कर दिए जाते हैं।

((ii) उपरोक्त निर्देश चार महीने के बाद लागू हो जाएगा।

(vi) चार महीने के भीतर, लागत का 50 प्रतिशत जमा किया जाएगा। उच्चतम न्यायालय कानूनी सेवा समिति का उपयोग गरीब और गरीब वादियों को कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए किया जाता है। शेष 50 प्रतिशत लागत रक्षा मंत्रालय की पुनर्वास और कल्याण योजनाओं के लिए बनाए गए धन में जमा की जाएगी।

(vii) हालाँकि, यह स्पष्ट किया जाता है कि इस निर्णय में की गई टिप्पणियाँ, किसी भी तरह से, सी. बी. आई., प्रवर्तन निदेशालय और अन्य एजेंसियों द्वारा लंबित जांच को प्रभावित नहीं करेंगी या उन लोगों के लिए पूर्वाग्रह पैदा नहीं करेंगी जो सी. बी. आई. द्वारा दर्ज मामलों में अभियोजन का सामना कर रहे हैं या जो भविष्य में सी. बी. आई. द्वारा दायर किए जाने वाले आरोप पत्रों के आधार पर अभियोजन का सामना कर सकते हैं और विशेष न्यायाधीश, सी. बी. आई. इस फैसले से प्रभावित हुए बिना मामले का फैसला करेंगे। हम यह भी स्पष्ट करते हैं कि यह निर्णय आयकर अधिनियम, 1961, धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 और इसी तरह के अन्य प्रावधानों के तहत अन्य जांच एजेंसियों द्वारा की जाने वाली कार्रवाई में किसी भी व्यक्ति को प्रभावित नहीं करेगा।

क़ानून "। लूप टेलीकॉम एंड ट्रेडिंग लिमिटेड v. भारत का संघ

AND ANDR। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

18. सी. पी. आई. एल. (उपरोक्त) में इस न्यायालय के फैसले को पढ़ते हुए, उस निवेदन को स्वीकार करना असंभव है जो अपीलार्थी की ओर से आग्रह किया गया है कि "पहले आओ पहले सेवा करो" नीति में धोखाधड़ी केवल केंद्र सरकार के दरवाजे पर है और अपीलार्थी दाग या गलत काम करने से मुक्त था। इस न्यायालय के निर्णय में कहा गया कि "पहले आओ पहले सेवा करो" नीति मनमानेपन के साथ व्यापक थी, और इसका उद्देश्य सरकारी खजाने को गंभीर नुकसान पहुँचाते हुए कुछ विशिष्ट संस्थाओं का पक्ष लेना था। निस्संदेह, "पहले आओ पहले" के लेखक

"सेवा" नीति केंद्र सरकार के भीतर शामिल आधिकारिक कर्ता थे। लेकिन समान रूप से, इस निर्णय ने उन निजी व्यावसायिक संस्थाओं को छूट नहीं दी जिन्होंने यू. ए. एस. एल. प्राप्त किए और अपने निर्णय के लाभार्थी बने। इस न्यायालय के निर्णय का निष्कर्ष यह है कि तत्कालीन संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री सरकारी खजाने की कीमत पर कुछ कंपनियों का पक्ष लेना चाहते थे और वास्तव में पूरी प्रक्रिया उन लोगों के पक्ष में "चरणबद्ध तरीके से प्रबंधित" थी, जिनके पास पहले से ही नीति की बारीकियों तक पहुंच थी। नतीजतन, अदालत ने पाया कि जिन कंपनियों ने प्रस्तुत किया था

2004 या 2006 में आवेदन उन लोगों के पक्ष में थे जिन्होंने अगस्त और सितंबर 2007 के बीच आवेदन किया था और जो "प्राथमिकता के आधार पर स्पेक्ट्रम के आवंटन के लिए अधिक वरिष्ठता प्राप्त करने में सफल रहे"।

19. समापन भाग में, सी. पी. आई. एल. (ऊपर) के फैसले में तीन लाइसेंसधारियों पर इस आधार पर 5 करोड़ रुपये की लागत लगाई गई कि उनके पास था

सरकारी खजाने की कीमत पर एक "पूरी तरह से मनमाना" द्वारा लाभान्वित और लाइसेंस देने और स्पेक्ट्रम के आवंटन के लिए डीओटी द्वारा की गई असंवैधानिक कार्रवाई, और जिन्होंने बाद में नए निवेश या इक्विटी के हस्तांतरण के नाम पर कई हजार करोड़ रुपये के लिए अपनी हिस्सेदारी बेच दी थी। दूसरी ओर, अपीलकर्ता उन चार लाइसेंसधारियों में से थे जिन्हें 50 लाख रुपये की लागत का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था क्योंकि उन्हें भी पूरी तरह से मनमाने और असंवैधानिक नियमों से लाभ हुआ था।

यू. ए. एस. एल. के अनुदान और 2 जी बैंड के स्पेक्ट्रम के आवंटन के लिए डी. ओ. टी. द्वारा की गई कवायद।

20. स्पेक्ट्रम के आवंटन के लिए तैनात स्पष्ट रूप से असंवैधानिक तंत्र के लाभार्थी कॉर्पोरेट संस्थाएं थीं जो "पहले आओ पहले सेवा करो" नीति के तहत उनका समर्थन किया गया था। अपीलार्थी उनमें से एक है। इस न्यायालय के फैसले द्वारा 5 करोड़ रुपये की लागत वाले तीन लाइसेंसधारियों और अपीलार्थी सहित चार लाइसेंसधारियों के बीच किया गया अंतर, जो [2022] 4 एस. सी. आर. की लागत के अधीन थे।

50 लाख रुपये इसलिए थे क्योंकि पूर्व के मामले में उनकी हिस्सेदारी को एक नए निवेश या इक्विटी के हस्तांतरण के नाम पर जाहिरा तौर पर उतार दिया गया था। हालाँकि, यह स्पष्ट है कि ये सभी लाइसेंसधारी सत्ता में बैठे लोगों की संलिप्तता से अपने लिए अनुग्रह प्राप्त करने के अवैध अभ्यास में शामिल थे। यह, सबसे बढ़कर, सी. पी. आई. एल. (उपरोक्त) में निर्णय और लाइसेंस रद्द करने और 2 जी स्पेक्ट्रम के आवंटन का औचित्य था। इस अदालत ने तब ट्राई को नया ढांचा तैयार करने का निर्देश दिया

अनुज्ञप्ति प्रदान करने और आवंटन के लिए सिफारिशें

नीलामी द्वारा बाईस सेवा क्षेत्रों में 2 जी बैंड में स्पेक्ट्रम, जैसा कि 3 जी बैंड में स्पेक्ट्रम के आवंटन के लिए किया गया था। इस प्रकार, सी. पी. आई. एल. (उपरोक्त) में निर्णय इस बात में कोई संदेह नहीं छोड़ता है कि अपीलार्थी केंद्र सरकार के साथ समान अधिकार में था।

डी प्रवेश शुल्क की वापसी का दावा

21. प्रवेश शुल्क की प्रकृति को इससे समझना होगा

यू. ए. एस. एल. दिशानिर्देश जो डी. ओ. टी. द्वारा 14 दिसंबर 2005 को जारी किए गए थे। दिशानिर्देशों के खंड 6 1 9 में किसी दिए गए सेवा क्षेत्र के लिए यू. ए. एस. एल. की मांग करने वाले प्रत्येक आवेदक को अनुलग्नक 1 के अनुसार "गैर-वापसी योग्य प्रवेश शुल्क" जमा करने की आवश्यकता थी, जिसमें विभिन्न सेवा क्षेत्रों के लिए देय शुल्क की मात्रा को स्पष्ट किया गया था। खंड 1420 इंगित करता है कि प्रवेश शुल्क वार्षिक लाइसेंस शुल्क के अतिरिक्त देय था जो यू. ए. एस. एल. आयोजित करने के लिए देय था।

22. प्रदान करने के लिए अपीलार्थी को आशय पत्र जारी किए गए थे

21 सेवा क्षेत्रों में एकीकृत पहुँच सेवा। अपीलार्थी ने 10 जनवरी 2008 को यू. ए. एस. एल. दिशानिर्देशों के संदर्भ में वृत्तवार प्रवेश शुल्क जमा किया। यह केवल इस प्रवेश शुल्क के भुगतान पर है कि अपीलार्थी पात्र हो गया

21 सेवा क्षेत्रों में यू. ए. एस. एल. जारी किए। यू. ए. एस. एल. समझौते के खंड 18.12¹ ने एक बार के भुगतान को स्वीकार किया। समझौते पर हस्ताक्षर करने से पहले वापसी योग्य प्रवेश शुल्क। इस प्रकार, प्रवेश शुल्क एक बार का गैर-वापसी योग्य शुल्क था जो देय था। इसके अनुसार

19 "6 प्रत्येक सेवा क्षेत्र के लिए एकीकृत अभिगम सेवा लाइसेंस के तहत आवश्यक गैर-वापसी योग्य प्रवेश शुल्क, सेवा क्षेत्र की श्रेणी, वित्तीय बैंक गारंटी, प्रदर्शन बैंक गारंटी, निवल मूल्य और चुकता इक्विटी पूंजी का विवरण अनुलग्नक-I के अनुसार है। निर्धारित चुकता इक्विटी पूंजी को लाइसेंस की मुद्रा के दौरान बनाए रखा जाएगा। 20 " 14 ऊपर वर्णित गैर-वापसी योग्य प्रवेश शुल्क के अलावा, लाइसेंसधारी स्पेक्ट्रम शुल्क को छोड़कर श्रेणी ए/बी/सी सेवा क्षेत्रों के लिए क्रमशः समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) के 10/8/6 प्रतिशत की दर से सालाना लाइसेंस शुल्क का भी भुगतान करेगा। 21 " 18.1 प्रवेश शुल्कः एक बार का गैर-वापसी योग्य प्रवेश शुल्क रु। इस लाइसेंस समझौते पर हस्ताक्षर करने से पहले एल. आई. सी. एन. एस. ई. द्वारा 1.1 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है। लूप टेलीकॉम एंड ट्रेडिंग लिमिटेड v.

भारत का संघ

AND ANDR। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

केंद्र सरकार, यह यू. ए. एस. एल. प्राप्त करने की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए एक आवेदक द्वारा देय था और खंड 10.122 के तहत लाइसेंस शुल्क से अलग था, जो लाइसेंस के वास्तविक संचालन से संबंधित था।

23. 16 सितंबर 2015 के अपने फैसले के दौरान, टी. डी. एस. ए. टी. ने भारत संघ की इस दलील पर विचार किया कि

यू. ए. एस. एल. दिशानिर्देशों के संदर्भ में शुल्क "गैर-वापसी योग्य" था। प्रस्तुतिकरण से निपटने के लिए, टीडीएसएटी ने कहाः

" हमारे लिए यह प्रतीत होता है कि धारा 4 के आधार पर प्रस्तुतियाँ टेलीग्राफ अधिनियम या यू. ए. एस. एल. दिशानिर्देशों में प्रवेश शुल्क और लाइसेंस को "गैर-वापसी योग्य" के रूप में वर्णित करना वास्तव में भीख माँगना है।

सवाल है। प्रस्तुतियों का महत्व होता अगर याचिकाकर्ताओं के लाइसेंस को लाइसेंस की अवधि के किसी भी उल्लंघन के लिए रद्द या समाप्त कर दिया गया था या उसके द्वारा अपनी मर्जी से आत्मसमर्पण कर दिया गया था। वर्तमान मामले के तथ्यों में याचिकाकर्ता राज्य के लिए कानून द्वारा आरक्षित विशेष क्षेत्र में प्रवेश करने में विफल रहा।

24. उपरोक्त तर्क में प्रशंसा करने के लिए बहुत कुछ है

टीडीएसएटी। यू. ए. एस. एल. दिशानिर्देशों और यू. ए. एस. एल. समझौतों की शर्तों के तहत प्रवेश शुल्क एक बार का गैर-वापसी योग्य शुल्क था। टी. डी. एस. ए. टी. ने अभिनिर्धारित किया कि भारत संघ की प्रस्तुति होगी यदि लाइसेंस को उल्लंघन के लिए समाप्त कर दिया गया था या यदि लाइसेंसधारी स्वेच्छा से लाइसेंस को सरेंडर कर रहा था। हालाँकि, यह एक ऐसा मामला था जहाँ लाइसेंस को अवैध माना गया था, क्योंकि इसका अनुदान अवैध था।

अनुच्छेद 14 के तहत संवैधानिक जनादेश का उल्लंघन। सीपीआईएल (उपरोक्त) में निर्णय द्वारा सभी लाइसेंस और स्पेक्ट्रम के आवंटन को इस आधार पर रद्द कर दिया गया कि केंद्र सरकार द्वारा अपनाई गई नीति और प्रक्रिया मनमाना थी, और अनुचित लाभ दिए गए थे। 22 " 10.1 एल. आई. सी. ई. एन. एस. ओ. आर. के पास इस एल. आई. सी. ई. एन. एस. के संचालन को किसी भी समय पूरी तरह या आंशिक रूप से निलंबित करने का अधिकार सुरक्षित है, यदि एल. आई. सी. ई. एन. एस. ओ. आर. की राय में, सार्वजनिक हित में या राज्य की सुरक्षा के हित में या टेलीग्राफ़ के उचित संचालन के लिए ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है। लाइसेंसर को देय लाइसेंस शुल्क का भुगतान उस अवधि के लिए करने की आवश्यकता नहीं होगी जिसके लिए इस लाइसेंस का संचालन पूरी तरह से निलंबित रहता है। यदि स्थिति ऐसी है, तो लाइसेंसर के लिए इस उद्देश्य के लिए एल. आई. सी. एन. एस. ई. की टिप्पणियां मांगने के लिए नोटिस जारी करना आवश्यक नहीं होगा और लाइसेंसर का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

बशर्ते कि अनुज्ञप्ति प्रदाता उपरोक्त कार्रवाई से हुई या उत्पन्न हुई किसी भी क्षति या हानि के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। बशर्ते कि लाइसेंस का निलंबन लाइसेंस की अवधि के विस्तार का कारण या आधार नहीं होगा और निलंबन अवधि को खर्च की गई अवधि के रूप में लिया जाएगा।

लाइसेंसधारियों को दिया गया। इस प्रकार, टी. डी. एस. ए. टी. ने यह अभिनिर्धारित किया कि, कड़ाई से कहें तो, यह निर्धारित करने वाली संविदात्मक अवधि कि प्रवेश शुल्क गैर-वापसी योग्य था, सी. पी. आई. एल. (उपरोक्त) में इस न्यायालय के फैसले के आधार पर धनवापसी के दावे को अपने आप में नहीं रोकेगी, जिसमें कहा गया था कि लाइसेंस देने तक की पूरी प्रक्रिया मनमाना और संवैधानिक थी। टी. डी. एस. ए. टी. उपरोक्त निष्कर्ष में प्रवेश करने के बाद, शेष चर्चा के लिए, यह निर्णय भी उसी आधार पर आगे बढ़ेगा।

ई टी. डी. एस. ए. टी. का अधिकार क्षेत्र

25. अपीलार्थी ने टी. डी. एस. ए. टी. के इस निष्कर्ष पर आपत्ति जताई है कि अपीलार्थी का उपचार स्वयं के बीच संविदात्मक दायरे में नहीं आता है।

और भारत संघ। चूँकि इस न्यायालय द्वारा सी. पी. आई. एल. (उपरोक्त) में क्षतिपूर्ति के सार्वजनिक कानून उपचार का न तो पहले दावा किया गया था और न ही उसे मंजूरी दी गई थी, टी. डी. एस. ए. टी. ने विवाद की उत्पत्ति और इस अदालत द्वारा दी गई परिणामी राहतों पर गौर किया। टी. डी. एस. ए. टी. ने कहा कि चूंकि चुनौती 2 जी स्पेक्ट्रम लाइसेंस आवंटित करने की नीति में निहित मनमाने और दुर्भावनापूर्ण कार्यों पर केंद्रित थी, इसलिए लाइसेंसों को रद्द करना लाइसेंसों के अनुदान को दूषित करने का एक आवश्यक परिणाम था। इस प्रकार, टी. डी. एस. ए. टी. ने कहा कि "धनवापसी का निर्देश अनुबंध अधिनियम के दायरे से बाहर है और संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग स्पष्ट रूप से इस न्यायाधिकरण (टी. डी. एस. ए. टी.) के अधिकार से बाहर है और इस संबंध में याचिकाकर्ता को उस न्यायालय से संपर्क करना चाहिए जिसने इसके लाइसेंस को रद्द कर दिया है, यानी सर्वोच्च न्यायालय और उचित राहत की मांग करनी चाहिए"।

26. यह न्यायालय इस बात का विश्लेषण करेगा कि क्या टी. डी. एस. ए. टी. के पास प्रवेश शुल्क की वापसी के दावे पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र था। टीडीएसएटी एक है

23 (1998) 46 डी. आर. जे 557 24 <HTTPS पर उपलब्धः //टीडीएसएटी। गव. इन/एडमिन/इंट्रोडक्शन/अपलोड/टी. डी. एस. ए. टी.% 20INTRO.pdf> में 28 फरवरी 2022 को लूप टेलीकॉम और ट्रेडिंग लिमिटेड v.

भारत का संघ

AND ANDR। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

" कार्यात्मक स्पष्टता लाने और नियामक को मजबूत करने के लिए

ढांचे और विवाद निपटान तंत्र में

दूरसंचार क्षेत्र, 1997 के टी. आर. ए. आई. अधिनियम को वर्ष 2000 में संशोधित किया गया था और टी. डी. एस. ए. टी. की स्थापना विवादों को निपटाने के लिए की गई थी। और दूरसंचार क्षेत्र के सेवा प्रदाताओं और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने और दूरसंचार क्षेत्र के व्यवस्थित विकास को बढ़ावा देने और सुनिश्चित करने के लिए अपीलों का निपटारा करना।

टी. आर. ए. आई. अधिनियम टी. डी. एस. ए. टी. के कामकाज को नियंत्रित करता है। द.

दीवानी अदालतों की अधिकारिता को धारा 15 द्वारा समाप्त कर दिया गया है। धारा 16 टी. डी. एस. ए. टी. को सिद्धांतों द्वारा निर्देशित अपनी प्रक्रिया को विनियमित करने में सक्षम बनाती है।

प्राकृतिक न्याय। टी. आर. ए. आई. अधिनियम की धारा 18 के तहत कानून के एक महत्वपूर्ण प्रश्न पर इस न्यायालय में अपील की जाती है। उपरोक्त वैधानिक संदर्भ में, टी. डी. एस. ए. टी. के अधिकार क्षेत्र का मूल्यांकन नीचे किया जाएगा।

27. टी. आर. ए. आई. अधिनियम की धारा 14 (ए) 2,5 टी. डी. एस. ए. टी. को किसी भी विवाद पर निर्णय लेने का अधिकार देती हैः

एक लाइसेंसधारी और लाइसेंसधारी के बीच;

((i)

((ख)

दो या अधिक सेवा प्रदाताओं के बीच; और

((iii) सेवा प्रदाता और उपभोक्ताओं के समूह के बीच।

28. "किसी भी विवाद" पर निर्णय लेने के लिए टीडीएसएटी की शक्तियों के दायरे की व्याख्या सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया बनाम में की गई थी। संघ इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा भारत की धारा 26। न्यायालय ने कहा कि

(ख) उपभोक्ता विवाद निवारण मंच या उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग या राष्ट्रीय आयोग के समक्ष बनाए रखने योग्य व्यक्तिगत उपभोक्ता की शिकायत। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (1986 का 68) की धारा 9 के तहत स्थापित उपभोक्ता निवारण आयोग;

(ग) भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 (1885 का 13) की धारा 7-ख की उप-धारा (1) में निर्दिष्ट टेलीग्राफ प्राधिकरण और किसी अन्य व्यक्ति के बीच विवाद; "26 (2003) 3 एस. सी. सी. 186 [2022] 4 एस. सी. आर.

टी. डी. एस. ए. टी. के लिए टी. आर. ए. आई. अधिनियम द्वारा परिकल्पित राशि व्यापक है और यहइस न्यायालय के लिए उन पर सीमाएं लगाना उचित नहीं होगा।

न्यायमूर्ति जी. बी. पटनायक ने कहाः

वर्ष 2002 का संशोधन और उद्देश्यों और कारणों का विवरण ही इंगित करेगा कि निवेशकों की आय में वृद्धि होगी। विश्वास और सार्वजनिक और निजी ऑपरेटरों के बीच एक समान अवसर पैदा करने के लिए, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 में उपयुक्त संशोधन लाया गया और संशोधन के तहत, एक न्यायाधिकरण का गठन किया गया जिसे

दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण

अनुज्ञप्तिदाता और अनुज्ञप्तिधारक के बीच विवादों का निर्णय लेना,

दो या दो से अधिक सेवा प्रदाताओं के बीच, एक सेवा प्रदाता और उपभोक्ताओं के एक समूह के बीच और प्राधिकरण के किसी भी निर्देश, निर्णय या आदेश के खिलाफ अपील की सुनवाई और निपटान करना। द.

उपरोक्त प्रावधान बिल्कुल आवश्यक था क्योंकि लाइसेंसकर्ता के संगठन, अर्थात् एम. टी. एन. एल. और बी. एस. एन. एल. भी सेवा प्रदाता थे। वह उद्देश्य जिसके लिए एक स्वतंत्र न्यायाधिकरण है

उस न्यायाधिकरण की शक्ति का गठन उस शक्ति को प्रदान करने वाली भाषा से किया जाना चाहिए और इसे इस आधार पर प्रतिबंधित करना उचित नहीं होगा कि निर्णय जो न्यायाधिकरण के समक्ष चुनौती का विषय है

अपीलीय न्यायाधिकरण काफी व्यापक है, जैसा कि स्वयं क़ानून और इस न्यायालय के निर्णयों में इंगित किया गया है जो एक अपीलीय शक्ति या मूल शक्ति का प्रयोग करने वाले न्यायालय के पास अधिनियम के तहत अपीलीय न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र को सीमित करने के लिए कोई आवेदन नहीं होगा। चूँकि न्यायाधिकरण एक लाइसेंसर और एक लाइसेंसधारी के बीच किसी भी विवाद पर निर्णय लेने का मूल प्राधिकरण है या

दो या दो से अधिक सेवा प्रदाताओं के बीच या किसी सेवा लूप टेलीकॉम और ट्रेडिंग लिमिटेड के बीच।

भारत का संघ

AND ANDR। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

प्रदाता और उपभोक्ताओं का एक समूह और चूंकि न्यायाधिकरण को करना है

ट्राई के निर्देशों, निर्णयों या आदेश के खिलाफ अपीलों को सुनना और उनका निपटारा करना, हमारे लिए न्यायाधीश द्वारा बनाए गए कानून के तहत अदालत के स्व-निहित प्रतिबंधों और सीमाओं को आयात करना मुश्किल है, जिसके लिए पहले ही संदर्भ दिया जा चुका है और निर्भरता रखी गई है

विद्वान महान्यायवादी द्वारा "।

न्यायमूर्ति एस. बी. सिन्हा ने अपनी सहमति में नियामक के तहत गठित न्यायाधिकरणों के आसपास के न्यायशास्त्र के बारे में विस्तार से बताया।

क़ानून। फैसले में कहा गया कि टी. डी. एस. ए. टी. क़ानून का एक हिस्सा था और क़ानून में निर्धारित बाधाओं के अधीन अपने अधिकार क्षेत्र को निर्धारित करने के लिए सशक्त था। धारा 18 के तहत इस न्यायालय में अपील को "कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न" तक सीमित कर दिया गया है। चूंकि धारा 14 के तहत टी. डी. एस. ए. टी. के अधिकार क्षेत्र पर ऐसी कोई बाधा नहीं रखी गई है, इसलिए टी. डी. एस. ए. टी. के अधिकार क्षेत्र को व्यापक माना गयाः

" 27. टी. डी. एस. ए. टी. को अधिनियम की धारा 14-ए के संदर्भ में अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करना आवश्यक था। टी. डी. एस. ए. टी. स्वयं एक विशेषज्ञ निकाय है और इसका अधिकार क्षेत्र इसकी धारा 14 ए की उप-धारा (7) को ध्यान में रखते हुए व्यापक है। इसका अधिकार क्षेत्र वैधता की जांच करने तक फैला हुआ है,

धारा 14 की उप-धारा (2) के संदर्भ में प्राधिकरण के किसी निर्देश/आदेश या निर्णय की औचित्य या शुद्धता और साथ ही उसकी उप-धारा (1) के तहत आवेदन में किया गया विवाद। विद्वान टी. डी. एस. ए. टी. का दृष्टिकोण, इस आधार पर है कि इसका

क्षेत्राधिकार सीमित है या न्यायिक समीक्षा की शक्ति के समान है, इसलिए, पूरी तरह से अस्थिर है। न्यायालय या न्यायाधिकरण की अधिकारिता का विस्तार संबंधित क़ानून पर निर्भर करता है। टी. डी. एस. ए. टी. एक कानून की रचना है। इसका अधिकार क्षेत्र भी एक क़ानून द्वारा प्रदान किया जाता है। टी. डी. एस. ए. टी. के निर्माण का उद्देश्य संसद द्वारा 2000 के संशोधन अधिनियम में स्पष्ट रूप से बताया गया है। टी. डी. एस. ए. टी., इस प्रकार, अपने अधिकार क्षेत्र के विस्तार को ध्यान में रखने में विफल रहा और इस प्रकार कानून में खुद को गलत दिशा में ले गया।

29. यदि कोई अधिकारिता संबंधी प्रश्न या उसकी सीमा विवादित है न्यायाधिकरण के समक्ष, न्यायाधिकरण को अनिवार्य रूप से इसका निर्णय करना चाहिए जब तक कि क़ानून अन्यथा प्रावधान न करे। (एच. डब्ल्यू. आर. वेड और सी. एफ. फोर्सिथ द्वारा प्रशासनिक कानून की न्यायिक समीक्षा देखें। 260.) केवल तभी जब ए

कानून के प्रश्न या तथ्य और कानून के मिश्रित प्रश्न का निर्णय एक न्यायाधिकरण द्वारा किया जाता है, जिसका प्रयोग उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है।

न्यायिक समीक्षा की इसकी शक्ति।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[.....]

34. इसके द्वारा की गई सांविधिक सिफारिशों को आम तौर पर केंद्र सरकार द्वारा स्वीकार किया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप पक्षों के अधिकार और दायित्व गंभीर रूप से प्रभावित हो सकते हैं। यह उपरोक्त आधार पर था कि संसद ने एक बनाने का विचार किया

स्वतंत्र विशेषज्ञ न्यायाधिकरण, जो इसके लिए कोई अवसर उत्पन्न होने पर, तथ्य के निष्कर्ष, कानून के निष्कर्ष या कानून और प्राधिकरण के तथ्य के मिश्रित प्रश्न में हस्तक्षेप कर सकता है। स्पष्ट रूप से कहा गया है कि न्यायाधिकरण का अधिकार क्षेत्र किसी भी तरह से सीमित नहीं है

जो भी हो "।

29. ट्राई अधिनियम की धारा 14 की व्याख्या भारत संघ बनाम में भी की गई है। टाटा टेलीसर्विसेज (महाराष्ट्र लिमिटेड) 27 दो न्यायाधीशों द्वारा

इस न्यायालय की पीठ। उस मामले में, प्रत्यर्थी ने टी. डी. एस. ए. टी. का रुख कर यह घोषणा करने की मांग की थी कि दावा करने और राशि की वसूली में भारत संघ (लाइसेंसर) की कार्रवाई गैरकानूनी थी। द.

प्रत्यर्थी ने यह घोषणा करने की भी मांग की कि महाराष्ट्र सेवा क्षेत्र के संबंध में लाइसेंस की शर्त लागू करके किया गया सेट-ऑफ अवैध था। भारत संघ ने दावा किया कि वह कर्नाटक दूरसंचार मंडल के संबंध में जारी आशय पत्र के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने में प्रतिवादी की विफलता के कारण हुए नुकसान की भरपाई करने का हकदार है। टीडीएसएटी ने दावे को खारिज कर दिया था भारत संघ ने कहा कि वह एक कानूनी या न्यायसंगत निपटान का हकदार था और यह अभिनिर्धारित किया कि भारत संघ के कहने पर जवाबी दावा करने का उसका कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था। अपील में, इस न्यायालय ने कहा कि या तो लाइसेंसकर्ता या सेवा प्रदाता के रूप में, केंद्र सरकार अपने और लाइसेंसधारी, किसी अन्य सेवा प्रदाता या उपभोक्ताओं के समूह के बीच विवाद के संबंध में टीडीएसएटी को आवेदन कर सकती है। इस अदालत ने नोट किया कि कोई नहीं था

केंद्र सरकार के अधिकार को कम करने का कारण "के दायरे में अपने दावे के निर्णय के लिए न्यायाधिकरण का रुख करने के लिए

धारा 14 (1) "। इस न्यायालय ने कहा कि यदि विषय वस्तु को ट्राई की धारा 14 के तहत दावे के माध्यम से उठाया जा सकता है

अधिनियम, यह एक प्रतिवाद उठाने की शक्ति को बाहर करने के लिए तार्किक नहीं होगा। यह अभिनिर्धारित करने के बाद कि टी. डी. एस. ए. टी. के पास एक जवाबी दावे को स्वीकार करने का अधिकार क्षेत्र था, निर्णय प्रतिवादी के इस निवेदन से संबंधित था कि जहां वास्तव में केंद्र सरकार द्वारा किसी पक्ष को लाइसेंस जारी नहीं किया गया था, विवाद धारा 14 (ए) के खंड (i) या (ii) के तहत नहीं आता था। न्यायालय ने कहा किः

27 (2007) 7 एस. सी. सी. 517 ("टाटा टेलीसर्विसेज")

लूप टेलीकॉम एंड ट्रेडिंग लिमिटेड v. भारत का संघ

AND ANDR। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

" 19 ..... दूसरे शब्दों में, स्वीकृति के साथ शुरू होने वाला विवाद

अनुज्ञप्ति के संभावित निर्गम की ओर ले जाने वाली निविदा और अवधि समाप्त होने के बाद भी अनुज्ञप्ति के अनुदान से उत्पन्न होने वाले विवाद सभी अधिनियम की धारा 14 (ए) के दायरे में आएंगे। इसे अलग तरीके से कहें तो धारा 14 अपने व्यापक विवादों के दायरे में लेती है। आशय पत्र जारी किए जाने के बाद, वास्तविक लाइसेंस के पूर्व-अनुदान के साथ-साथ क्वॉन्डम लाइसेंसधारी और लाइसेंसकर्ता के बीच दिए गए लाइसेंस से उत्पन्न होने वाले विवाद भी।

न्यायालय ने कहा कि हालांकि प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत बोली को भारत संघ द्वारा स्वीकार कर लिया गया था और एक आशय पत्र था जारी किया गया, अनुबंध अंततः अस्तित्व में नहीं आया क्योंकि प्रतिवादी कुछ संशोधनों पर जोर दे रहा था और वास्तव में लाइसेंस नहीं दिया गया था। न्यायालय ने कहाः

" 22. हम पहले ही संकेत दे चुके हैं कि विशेष मामलों से निपटने के उद्देश्य से एक विशेष न्यायाधिकरण का गठन किया गया है

और अधिनियम के तहत दिए गए लाइसेंसों से उत्पन्न होने वाले विवाद। इसलिए हम यह नहीं सोचते हैं कि इस प्रकार गठित न्यायाधिकरण की अधिकारिता को उसके दायरे से बाहर रखते हुए प्रतिबंधित करने का कोई कारण है-एक व्यक्ति जिसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया है और जिसे -

आशय पत्र सरकार द्वारा जारी किया जाता है और जिसने उस आशय पत्र को स्वीकार भी किया था। निविदा आमंत्रित करने के नोटिस के जवाब में दिए गए प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद उत्पन्न होने वाला कोई भी उल्लंघन या दायित्व का कथित उल्लंघन भी आम तौर पर उस विवाद के दायरे में आता है जिसे विशेष न्यायाधिकरण द्वारा निपटाया जा सकता है। इस न्यायालय ने यह भी माना कि इसे प्रतिबंधित करने का कोई कारण नहीं था

धारा 14 (ए) (आई) में प्रत्यर्थी जैसे व्यक्ति को बाहर करने के लिए "अनुज्ञप्तिधारी" अभिव्यक्ति, जिसे आशय पत्र जारी किया गया था, जब आशय पत्र स्वीकार कर लिया गया था, लेकिन औपचारिक अनुबंध करने और काम शुरू करने से पहले कुछ शर्तों पर बातचीत करने का प्रयास किया गया था। न्यायालय ने कहाः

कर्नाटक सर्कल के संबंध में, जिसने आशय पत्र को स्वीकार कर लिया था, लेकिन एक औपचारिक अनुबंध में प्रवेश करने और काम करने से पहले सामान्य हित की कुछ और शर्तों पर बातचीत करने की कोशिश कर रहा था शुरू किया जाना था। [2022] 4 एस. सी. आर. के बीच उत्पन्न होने वाले विवादों को बाहर करना।

इसके बाद अनुबंध की विफलता पर पक्षकार

के माध्यम से, वारंट या उचित नहीं प्रतीत होता है

जिस उद्देश्य के लिए टी. डी. एस. ए. टी. बनाया गया है उस पर विचार करते हुए स्थापित और उद्देश्य द्वारा प्राप्त करने की मांग की गई

एक विशेष न्यायाधिकरण का निर्माण। "

(जोर दिया गया)

30. टाटा टेलीसर्विसेज (ऊपर) के फैसले पर भरोसा करते हुए,

अपीलार्थी दावा करता है कि प्रवेश शुल्क की वापसी इस दायरे में आती है

ट्राई अधिनियम की धारा 14 (ए) (आई)। प्रस्तुतियों का मूल्यांकन करते समय, शुरुआत में यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि अपीलार्थी की ओर से आग्रह किए गए प्रस्तुतियों की पंक्ति में विसंगति है। भारत संघ ने प्रस्तुत किया कि प्रवेश शुल्क जो अपीलार्थी द्वारा भुगतान किया गया था, यू. ए. एस. एल. दिशानिर्देशों और यू. ए. एस. एल. के संदर्भ में एक बार का गैर-वापसी योग्य शुल्क था।

समझौता। उपरोक्त प्रस्तुतिकरण पर अपीलार्थी की प्रतिक्रिया यह है कि लाइसेंस को उल्लंघन के लिए समाप्त नहीं किया गया था

अपीलार्थी, और न ही अपीलार्थी ने स्वेच्छा से लाइसेंस समर्पण किया। इसलिए, अपीलार्थी के अनुसार, दिशानिर्देशों में खंड और धनवापसी को रोकने वाला समझौता आकर्षित नहीं होगा। दूसरे शब्दों में, सी. पी. आई. एल. (ऊपर) में इस न्यायालय के निर्णय के परिणामस्वरूप, पूरी प्रक्रिया अग्रणी है। 2 जी स्पेक्ट्रम के लिए लाइसेंस दिए जाने तक इसे दूषित माना गया था और लाइसेंस रद्द कर दिए गए थे। टी. डी. एस. ए. टी. ने इस लाइन को स्वीकार किया है

इरादा लेकिन वास्तविक लाइसेंस देने से पहले, या लाइसेंसकर्ता या लाइसेंसधारक के बीच दिए गए लाइसेंस से उत्पन्न होने वाला विवाद। वास्तव में, यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि अपीलार्थी ने, जैसा कि बाद में अधिक विस्तार से विश्लेषण किया जाएगा, इस सिद्धांत पर भरोसा रखा है कि एक समझौता जो शून्य है उसे विभाजित नहीं किया जा सकता है और समझौते के किसी भी पक्ष को नहीं। कानून की अदालत के माध्यम से अनुबंध के आंशिक प्रवर्तन की अनुमति दी जा सकती है। इस प्रस्ताव के समर्थन में, तारसेम सिंह बनाम मामले में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा रखा गया है। सुखमिंदर सिंह 28. ए.

28 1998 (3) एस. सी. सी. 471 ("तारसेम सिंह")

लूप टेलीकॉम एंड ट्रेडिंग लिमिटेड v. भारत का संघ

AND ANDR। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

इस न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की पीठ ने अभिनिर्धारित किया था कि यदि कोई समझौता अमान्य माना जाता है, तो कुछ ज्ञात अपवादों को छोड़कर कोई भी शर्त नहीं है, विशेष रूप से जहां खंड को अलग माना जाता है और

(उपर्युक्त) अनुज्ञप्ति को गैरकानूनी ठहराते हुए, अपीलार्थी उस लाभ की बहाली का हकदार है जो भारत संघ द्वारा एक समझौते के तहत प्राप्त किया गया है जिसे अमान्य माना जाता है। 32. ऊपर जो कहा गया है, उसके अलावा, सी. पी. आई. एल. (उपरोक्त) में निर्णय के पहले के विश्लेषण से संकेत मिलता है कि जब 2 जी स्पेक्ट्रम के आवंटन और लाइसेंसों पर विवाद इस न्यायालय के समक्ष निर्णय का विषय था, तो अपीलार्थी के साथ-साथ संघ भी

सरकार स्पेक्ट्रम के आवंटन और 2 जी लाइसेंस देने का बचाव कर रही थी। अपीलार्थी इस तथ्य के संज्ञान में था कि "पहले आओ पहले सेवा करो" नीति के अनुसरण में लाइसेंस का पुरस्कार चुनौती के अधीन था और अनुच्छेद 32 के तहत कार्यवाही में जो मुख्य राहत मांगी गई थी, वह नीलामी को अलग करने और हर्जाने के पुरस्कार के लिए थी। इसी पृष्ठभूमि में अपीलार्थी का आचरण महत्व रखता है। अपीलार्थी ने, इस न्यायालय के समक्ष निर्णय के दौरान, स्पेक्ट्रम का आवंटन या लाइसेंस का अनुदान दूषित होने की स्थिति में प्रवेश शुल्क की वापसी के लिए याचिका नहीं रखी।

33. इस न्यायालय ने उन मामलों की बढ़ती प्रवृत्ति पर ध्यान दिया है जहां पक्षों ने शुरुआत करके चेरी पर एक और काटने का प्रयास किया है। विभिन्न मंचों पर कार्यवाही, विशेष रूप से

इस न्यायालय की अधिकारिता जो मामले की निगरानी में है। एक अन्य मंच में एक विलंबकारी रणनीति के रूप में या मंच खरीदारी के प्रयास के रूप में एक कथित रूप से सहायक उपचार का आग्रह किया जाता है। हममें से एक (डॉ. न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़), वेदांत लिमिटेड बनाम मामले में इस न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की पीठ की ओर से बोल रहे हैं। द.

गोवा फाउंडेशन और Ors.29 ने इस तरह की रणनीति को अस्वीकार कर दिया था। उस मामले में अदालत ने गोवा में फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी थी

29 2020 की याचिका (सिविल) डायरी संख्या 18447 की समीक्षा करें (9 जुलाई 2021)

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

फाउंडेशन वी। सेसा स्टरलाइट लिमिटेड & Ors.30 जिसने इस न्यायालय के एक निर्णायक निर्णय के बावजूद उच्च न्यायालय के समक्ष मुकदमेबाजी को आगे बढ़ाने के एक पक्ष के प्रयास का विश्लेषण किया था, जिसने इसके खनन पट्टों को रद्द कर दिया था और नए पर्यावरणीय पट्टों के साथ नए पट्टे जारी करने का निर्देश दिया था।

गोवा राज्य में मंजूरी। टी पी मोइदीन कोया बनाम। केरल सरकार 3 1, इस न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने परेशान करने वाले मुकदमे की प्रथा को अस्वीकार कर दिया जब एक बाध्यकारी निर्णय के प्रभाव को संशोधन की प्रक्रिया से विचलित करने वाले तरीके से कम या परिवर्तित करने की मांग की जाती है। न्यायालय ने कहाः

" 13. यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि सक्षम अधिकार क्षेत्र की अदालत द्वारा सुनाया गया निर्णय पक्षों के बीच बाध्यकारी है जब तक कि कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया को अपनाकर संशोधित या परिवर्तित किया गया। यह बड़े पैमाने पर जनता के हित में है कि एक सक्षम अदालत द्वारा घोषित बाध्यकारी निर्णयों को अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।

अधिकारिता और यह जनहित में भी है कि व्यक्तियों को एक ही तरह के मुकदमे से दो बार परेशान नहीं किया जाना चाहिए। अनुच्छेद 32 के तहत एक याचिका की सुनवाई करते समय इस न्यायालय के लिए संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत एक याचिका के माध्यम से इस न्यायालय में आए किसी मामले में दिए गए निर्णय पर समीक्षा की शक्ति या किसी प्रकार के अपीलीय अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने की अनुमति नहीं है। भागूभाई दुल्लभभाई भंडारी बनाम में लिया गया दृष्टिकोण। जिला मजिस्ट्रेट [ए. आई. आर 1956 एस. सी. 585: 1956 एससीआर 533: 1956 सी. आर. आई. एल. जे. 1126] कि उच्च न्यायालय द्वारा दर्ज की गई दोषसिद्धि की बाध्यकारी प्रकृति, जिसके खिलाफ एक विशेष अनुमति याचिका दायर की गई थी और खारिज कर दी गई थी, को कार्यवाही में आरोपित नहीं किया जा सकता है।

संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत लिया गया था

दरयाओ वी। यू. पी. राज्य [ए. आई. आर 1961 एस. सी. 1457: (1962) 1 एस. सी. आर. 574] (रिपोर्ट का पैरा 14 देखें)।

प्रस्तुतियाँ जो चुनाव लड़ने वाले दलों द्वारा रिकॉर्ड में रखी गई थीं। प्रस्तुतियाँ स्पष्ट रूप से पारदर्शिता की कमी और केंद्र सरकार के अधिकारियों की ओर से व्यक्तियों/संस्थाओं के एक चुनिंदा समूह को लाभान्वित करने का प्रयास, जिन्हें "प्रथम" के तहत पसंद किया गया था।

पहले आओ पहले सेवा करो नीति। निर्णय उन लाभों पर आधारित था जो चयनित संस्थाओं को प्राप्त हुए हैं- दोनों ही दूसरों को इस रूप में अलग करने के संदर्भ में।

30 (2018) 4 एससीसी 218

साथ ही लाइसेंस देने के लिए वित्तीय शर्तें निर्धारित करने में भी। प्रवेश शुल्क का निर्धारण लाइसेंस के पुरस्कार को नियंत्रित करने वाली वित्तीय शर्तों का एक अभिन्न अंग था और यह एक अद्वितीय विशेषता नहीं थी जिसे समग्र प्रक्रिया से अलग किया जा सकता था। अनुज्ञप्ति प्रदान करना। इसलिए, अपीलार्थी का यह निवेदन कि प्रवेश शुल्क की वापसी के लिए अपील करने का अधिकार सी. पी. आई. एल. (ऊपर) में निर्णय के बाद सुनिश्चित होगा, एक सरल समझ होगी -

इस न्यायालय की प्रक्रिया और अंतिम निर्णय। लाइसेंसों को रद्द करने और एक नई नीलामी का आदेश देते हुए, इस अदालत ने लाइसेंस और स्पेक्ट्रम आवंटन के "पूरी तरह से मनमाने" और "असंवैधानिक अभ्यास" से गलत तरीके से लाभ उठाने में उनकी गलती का आकलन करने के बाद, लाइसेंसधारियों के एक समूह पर 5 करोड़ रुपये और दूसरे समूह पर 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। यह अभिनिर्धारित करने के लिए निर्णय का अनुचित अध्ययन होगा कि निर्णय प्रवेश शुल्क की वापसी के लिए एक दावा छोड़ देता है। प्रवेश शुल्क का भुगतान समग्र वित्तीय परिप्रेक्ष्य में एक तत्व था जिसके कारण लाइसेंस दिए गए। सी. पी. आई. एल. (उपरोक्त) में इस न्यायालय के समक्ष निर्णय को एक समग्र समग्र के रूप में माना जाना चाहिए जिससे इसके भागों को अलग नहीं किया जा सकता है। 35. अपीलार्थी ने तर्क दिया है कि यदि अधिकार क्षेत्र पर टी. डी. एस. ए. टी. के निष्कर्ष को स्वीकार किया जाता है, तो यह उसके अधिकार क्षेत्र के विस्तार पर प्रभाव डालेगा और सार्वजनिक कानून के दायरे में आने वाले कुछ विवादों को बाहर कर देगा। हालाँकि, यह तर्क टी. डी. एस. ए. टी. के निष्कर्ष का सही अध्ययन नहीं है। सी. पी. आई. एल. में निर्णय

(ऊपर), लाइसेंस की शर्तों पर अपीलार्थी का विवाद

भारतीय संघ (लाइसेंसर) धारा 14 (ए) (आई) के तहत टीडीएसएटी के अधिकार क्षेत्र में आएगा, जैसा कि इस न्यायालय ने टाटा टेलीसर्विसेज (उपरोक्त) में पुष्टि की है। प्रत्यर्थी का यह तर्क कि लाइसेंस रद्द होने के बाद अपीलकर्ता अब "लाइसेंसर" नहीं है, टाटा में निर्णय को देखते हुए टीडीएसएटी के अधिकार क्षेत्र का एक प्रतिबंधात्मक अध्ययन होगा।

टेलीसर्विसेज (ऊपर)। हालाँकि, स्पेक्ट्रम के आवंटन और लाइसेंसों की नीति को दुर्भावना के आधार पर रद्द कर दिया गया था और केंद्र सरकार की नीति में मनमानेपन, बाद की जांच

प्रवेश शुल्क की वापसी की व्यवहार्यता के लिए उसी न्यायालय के समक्ष आंदोलन करना होगा। 36. इस तरह की प्रथा का पालन पहले टी. डी. एस. ए. टी. द्वारा किया गया है। ए. यू. एस. पी. आई. (ऊपर) में, इस न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की पीठ ने निर्णय पर विचार किया।

ए. जी. आर. की परिभाषा पर टी. डी. एस. ए. टी. की, जिसे इस न्यायालय द्वारा टी. आर. ए. आई. [2022] 4 एस. सी. आर. की धारा 18 के तहत अपने अपीलीय अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में बरकरार रखा गया था।

एक्ट करें। इस न्यायालय को यह तय करने के लिए बुलाया गया था कि क्या इस न्यायालय की बर्खास्तगी के बाद टीडीएसएटी के समक्ष काफी हद तक इसी तरह के प्रश्न को फिर से उठाया जा सकता है।

टी. डी. एस. ए. टी. के आदेश के खिलाफ दीवानी अपील में कहा गया है कि ए. जी. आर. में केवल लाइसेंस प्राप्त गतिविधियों से उत्पन्न राजस्व शामिल होगा न कि उससे प्राप्त राजस्व।

अनुज्ञप्तिधारक के अनुज्ञप्ति के बाहर की गतिविधियाँ। न्यायालय ने कहा कि टी. डी. एस. ए. टी. के पास अधिकार क्षेत्र था, विशेष रूप से इस न्यायालय के आदेश पर ध्यान देने के बाद ही भारत संघ को टी. डी. एस. ए. टी. के समक्ष मुद्दों पर आरोप लगाने की विशिष्ट स्वतंत्रता दी गई थी। इस न्यायालय ने टिप्पणी की:

यह है कि क्या 2007 की सिविल अपील संख्या 84 को खारिज करने के बाद इस न्यायालय द्वारा 19-1-2007 [भारत संघ बनाम। एस. एन.

भारत के एकीकृत दूरसंचार सेवा प्रदाता, सिविल अपील 2007 की संख्या 84 ने आदेश के खिलाफ 19-1-2007 (SC) पर निर्णय लिया

न्यायाधिकरण का दिनांक 7-7-2006, भारत संघ पुनः सक्रिय कर सकता है

प्रश्न दिनांकित 7-7-2006 क्रम में तय किया गया है कि समायोजित

सकल राजस्व में केवल लाइसेंस प्राप्त राजस्व शामिल होगा। गतिविधियाँ और लाइसेंस के बाहर की गतिविधियों से राजस्व नहीं

लाइसेंसधारी।

33. इस प्रश्न को तय करने के लिए, हमें पहले भाषा को देखना चाहिए। दिनांकित 19-1-2007 [भारत संघ बनाम। एस. एन. एकीकृत

भारत के दूरसंचार सेवा प्रदाता, 2007 की सिविल अपील संख्या 84

सिविल अपील संख्या 84 में इस न्यायालय के 19-1-2007 (SC) पर निर्णय लिया गया 2007 से। दिनांकित आदेश 19-1-2007 [भारत संघ बनाम। एस. एन. में से

भारत के एकीकृत दूरसंचार सेवा प्रदाता, सिविल अपील संख्या 84

19-1-2007 (SC)] पर 2007 का निर्णय नीचे उद्धृत किया गया है:

" पार्टियों को सुना। टी. डी. एस. ए. टी. के निर्देशानुसार

विवादित आदेश, ट्राई द्वारा एक नई सिफारिश की गई है।

बर्खास्त कर दिया। हालाँकि, अपीलार्थी को आग्रह करने की स्वतंत्रता दी गई है - टी. डी. एस. ए. टी. के समक्ष इस याचिका में उठाई गई दलीलें।

(जोर दिया गया)

यह दिनांकित 19-1-2007 आदेश की भाषा से स्पष्ट होगा।

[भारत संघ बनाम। एस. एन. एकीकृत दूरसंचार सेवा प्रदाता भारत, 2007 की सिविल अपील संख्या 84 ने 19-1-2007 (SC) पर निर्णय लिया]

कि अपील को खारिज करते हुए, न्यायालय ने स्वतंत्रता दी है

अपीलार्थी, अर्थात् भारत संघ, में उठाए गए तर्कों का आग्रह करने के लिए 2007 की सिविल अपील सं. 84।

लूप टेलीकॉम एंड ट्रेडिंग लिमिटेड v. भारत का संघ

AND ANDR। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

34 ..... इस प्रकार, दिनांकित 19-1 आदेश की स्पष्ट भाषा के अनुसार

2007 [भारत संघ बनाम। एसोसिएशन। भारत के एकीकृत दूरसंचार सेवा प्रदाताओं की, 2007 की सिविल अपील संख्या 84 ने 2007 की सिविल अपील संख्या 84 में इस न्यायालय के 19-1-2007 (SC) पर निर्णय लिया, भारत संघ उपरोक्त प्रत्येक आधार को ऊपर उठाए जाने से पहले उठा सकता है

न्यायाधिकरण। इसलिए, भले ही हम यह मान लें कि न्यायाधिकरण का दिनांकित 7-7-2006 आदेश दिनांकित 19-1-2007 [भारत संघ v. एसोसिएशन। भारत के एकीकृत दूरसंचार सेवा प्रदाताओं की, 2007 की सिविल अपील संख्या 84 ने 2007 की सिविल अपील संख्या 84 में पारित इस न्यायालय के 19-1-2007 (SC) पर निर्णय लिया, इस न्यायालय द्वारा दिनांकित 19-1-2007 [भारत संघ v. एसोसिएशन। भारत के एकीकृत दूरसंचार सेवा प्रदाताओं की 2007 की सिविल अपील संख्या 84 ने निर्णय लिया कि भारत संघ न्यायाधिकरण के समक्ष उपरोक्त आधार 1 से 6 के तहत आने वाली सभी दलीलों का आग्रह कर सकता है, जिसमें यह तर्क भी शामिल है कि लाइसेंस में दी गई समायोजित सकल राजस्व की परिभाषा को न्यायाधिकरण के समक्ष लाइसेंसधारियों द्वारा चुनौती नहीं दी जा सकती है और इसमें लाइसेंस में समायोजित सकल राजस्व की परिभाषा में उल्लिखित राजस्व की सभी वस्तुएं शामिल होंगी।

38. इस बाधा को पार करने का प्रयास करते हुए, अपीलार्थी ने इस न्यायालय के समक्ष आग्रह किया कि इस दौरान क्या उत्तेजित किया जा सकता था सी. पी. आई. एल. (उपरोक्त) में निर्णय तक की कार्यवाही को वर्तमान कार्यवाही में अच्छी तरह से उत्तेजित किया जा सकता है क्योंकि दोनों मामलों में कोरम होगा

उच्चतम न्यायालय और अपीलार्थी अब टी. डी. एस. ए. टी. के फैसले के खिलाफ इस न्यायालय के समक्ष अपील कर रहे हैं। इस तरह की कार्रवाई [2022] 4 एस. सी. आर. नहीं होगी।

स्पष्ट रूप से अपीलार्थी के लिए खुला रहें क्योंकि अधिकार क्षेत्र

वर्तमान में सिविल अपील में प्रवेश शुल्क की वापसी के दावे को अस्वीकार करने के टी. डी. एस. ए. टी. के निर्णय से उत्पन्न अपीलीय क्षेत्राधिकार का उपयोग किया जाता है। अपीलार्थी के आचरण से संकेत मिलता है कि 13 मई 2016 को अपीलार्थी ने टी. डी. एस. ए. टी. के आदेश के खिलाफ अपील वापस लेने की मांग की थी। अदालत ने दर्ज किया था-"अपीलार्थी स्वतंत्रता के लिए प्रार्थना करता है वर्तमान अपीलों को वापस लें और इसके बजाय एक बार इस न्यायालय से संपर्क करें

टी. डी. एस. ए. टी. को स्थानांतरित करने के लिए विशिष्ट स्वतंत्रता या अनुमति प्राप्त किए बिना टी. डी. एस. ए. टी. के पहले आदेश के खिलाफ शुरू की गई अपीलें, टी. डी. एस. ए. टी. के समक्ष मुकदमेबाजी का दूसरा दौर शुरू करना, और फिर दीवानी अपीलों के पहले सेट का पुनरुद्धार प्राप्त करना। किसी पक्ष को इस तरह से मुकदमा चलाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इस तरह की कार्रवाई गंभीर दुरुपयोग के अधीन है क्योंकि यह मंच पर एक प्रयास को उजागर करता है-खरीदारी और चुनिंदा रूप से यह तय करना कि यह कहाँ और किसके सामने अपने उपायों को आगे बढ़ाएगा। यह इस पृष्ठभूमि में है कि अपीलार्थी का न्यायालय के साथ निष्पक्ष होने में विफलता जब उसने न्यायिक प्रक्रिया में अपनी दलीलों को संबोधित किया जिससे सी. पी. आई. एल. (ऊपर) में निर्णय का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। उपरोक्त कारणों से हमारा विचार है कि टी. डी. एस. ए. टी. सही निष्कर्ष पर पहुंचा है कि प्रवेश शुल्क की वापसी के लिए अपीलार्थी के दावे पर विचार नहीं किया जा सकता था।

एफ दावा हताशा और पुनर्स्थापन पर आधारित है

39. निर्णय के इस खंड में, हम अपीलार्थी के इस दावे का विश्लेषण करेंगे कि वह हताशा के सिद्धांत और पुनर्स्थापन के सिद्धांत के अनुप्रयोग पर प्रवेश शुल्क की वापसी का दावा करने का हकदार है। अपीलार्थी ने अनुबंध अधिनियम की धारा 56 और 65 के प्रावधानों पर भरोसा किया है। अपीलार्थी का मूल अभिधारणा यह है कि जब टेलीग्राफ लूप टेलीकॉम एंड ट्रेडिंग लिमिटेड की धारा (4) (1) के प्रावधान के तहत लाइसेंस दिया जाता है।

AND ANDR। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

अधिनियम, लाइसेंस सरकार के बीच एक अनुबंध की प्रकृति में है

और अनुज्ञप्तिधारी, इस प्रकार इसे भारतीय अनुबंध अधिनियम के दायरे में लाना।

40. ए. यू. एस. पी. आई. (ऊपर) में, इस न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की पीठ ने निर्णय दिया हैः " 39. हालाँकि, टेलीग्राफ अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) का परंतुक केंद्र सरकार को ऐसी शर्तों पर और ऐसे भुगतानों पर विचार करते हुए, जो वह उचित समझती है, किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में लाइसेंस देकर इस विशेष विशेषाधिकार को छोड़ने में सक्षम बनाता है। चूंकि केंद्र सरकार के पास दूरसंचार गतिविधियों को चलाने का विशेष विशेषाधिकार है और अकेले केंद्र सरकार को ऐसी शर्तों पर और ऐसी शर्तों पर विचार करते हुए, जो वह उचित समझती है, किसी भी व्यक्ति के पक्ष में लाइसेंस देकर उसके पक्ष में इस विशेषाधिकार को छोड़ने का अधिकार है, इसलिए टेलीग्राफ अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) के प्रावधान के तहत दिया गया लाइसेंस अनुबंध की प्रकृति का है।

केंद्र सरकार और लाइसेंसधारी के बीच।

उपरोक्त उद्धरण में जो सिद्धांत स्पष्ट किया गया है वह यह है कि जब केंद्र सरकार विशेष विशेषाधिकार के साथ भाग लेती है जो उसे टेलीग्राफ अधिनियम की धारा 4 (1) द्वारा लाइसेंस देकर प्रदान किया जाता है, तो लाइसेंस संघ के बीच अनुबंध की प्रकृति में होता है।

सरकार और लाइसेंसधारी।

41. यह उपरोक्त आधार पर है कि अपीलार्थी अनुबंध की हताशा और बहाली के सिद्धांत के अनुप्रयोग का आह्वान करना चाहता है। भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 56 इस प्रकार प्रदान करती हैः

" 56. असंभव कार्य करने के लिए समझौता। — करने के लिए समझौता

एक असंभव कार्य अपने आप में शून्य है।

बाद में कार्य करने का अनुबंध असंभव हो जाता है या

गैरकानूनी। एक ऐसा कार्य करने के लिए अनुबंध जो अनुबंध किए जाने के बाद असंभव हो जाता है, या किसी ऐसी घटना के कारण जिसे वचनदाता रोक नहीं सका, गैरकानूनी, अमान्य हो जाता है जब

कार्य असंभव या गैरकानूनी हो जाता है।

अधिनियम के गैर-निष्पादन के माध्यम से नुकसान के लिए मुआवजा

इसे असंभव या गैरकानूनी माना जाता है। - जहाँ एक व्यक्ति ने कुछ ऐसा करने का वादा किया है जिसे वह जानता था, या, उचित परिश्रम के साथ, शायद जानता था, और जिसे वादा करने वाला नहीं जानता था,

असंभव या गैरकानूनी होने के लिए, इस तरह के वचनदाता को करना चाहिए

ऐसे वादा करने वाले को किसी भी नुकसान के लिए मुआवजा जो ऐसा वादा करता है वादे का पालन न करने के माध्यम से कायम रहता है। "[2022] 4 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

42. हताशा के सिद्धांत को सत्यव्रत घोष बनाम में इस न्यायालय के तीन न्यायाधीशों की पीठ के फैसले में स्पष्ट किया गया है। मुगनीराम

बांगुर एंड कंपनी 3 2. न्यायमूर्ति बी. के. मुखर्जी ने हताशा के सिद्धांत की व्याख्या करते हुए कहाः

कुंठा, फिर भी जिस आवश्यक विचार पर सिद्धांत आधारित है, वह अनुबंध के प्रदर्शन की असंभवता है; वास्तव में असंभवता और कुंठा का उपयोग अक्सर विनिमेय अभिव्यक्तियों के रूप में किया जाता है। कहा जाता है कि बदली हुई परिस्थितियाँ अनुबंध के निष्पादन को असंभव बना देती हैं और पक्षकारों को अनुबंध के आगे के प्रदर्शन से असंभव बना दिया जाता है और पक्षकारों को इसके आगे के प्रदर्शन से मुक्त कर दिया जाता है क्योंकि उन्होंने असंभवता का प्रदर्शन करने का वादा नहीं किया था। इसलिए हम मानते हैं कि हताशा का सिद्धांत वास्तव में अनुबंध का एक पहलू या हिस्सा है। अधिनियम की असंभवता या अवैधता के कारण अनुबंध के निर्वहन का कानून और इसलिए भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 56 के दायरे में आता है। यह कहना गलत होगा कि अनुबंध अधिनियम की धारा 56 केवल भौतिक असंभवता के मामलों पर लागू होती है और जहां यह धारा लागू नहीं होती है।

लागू होने पर, अंग्रेजी कानून के सिद्धांतों का सहारा लिया जा सकता है

निराशा का विषय "।

इस प्रकार, यह अभिनिर्धारित किया गया कि भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 56 की प्रयोज्यता भौतिक असंभवता के मामलों तक सीमित नहीं है। अदालत ने

यह भी कहा कि भारत में मामलों को तय करने में, एकमात्र परीक्षण जो लागू होना चाहिए, वह है सहमत अधिनियम की असंभवता या अवैधता का पर्यवेक्षण करना।

संविदात्मक रूप से किया जाना "। इस प्रकार, न्यायालय ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया धारा 56 में "असंभव" शब्द का शाब्दिक अर्थ में ही नहीं, बल्कि व्यावहारिक अर्थों में भी अर्थ लगाया गया है। इसी तरह, भारतीय संविधान की धारा 2033

33 " 20. समझौता अमान्य हो जाता है जहां दोनों पक्षों को गलती हो जाती है तथ्य। जहां किसी समझौते के दोनों पक्ष समझौते के लिए आवश्यक तथ्य के रूप में गलती कर रहे हैं, तो समझौता अमान्य है।

स्पष्टीकरण। उस चीज़ के मूल्य के बारे में एक गलत राय जो बनाता है समझौते की विषय वस्तु को तथ्य के मामले में गलती नहीं माना जाना चाहिए। लूप टेलीकॉम एंड ट्रेडिंग लिमिटेड v.

भारत का संघ

AND ANDR। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

43. तारसेम सिंह (ऊपर) मामले में, इस न्यायालय का सामना भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 20 के तहत एक अनुबंध के अमान्य होने के रूप में किया गया था

अनुबंध का विषय भूमि के क्षेत्र का आकलन करने के लिए मीट्रिक के संबंध में पक्षकार तथ्य की गलती के अधीन थे। इस न्यायालय ने "अमान्य पाया गया" अभिव्यक्ति की व्याख्या करते हुए कहा कि ये शब्द ऐसी स्थिति को समझें जिसमें पक्ष शुरू से ही तथ्य की गलती से पीड़ित थे, लेकिन समझौते में प्रवेश करने या दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के समय उन्हें एहसास नहीं था कि वे ऐसी किसी गलती से पीड़ित थे और इसलिए उन्होंने ऐसे समझौतों में प्रवेश करते समय ईमानदारी से काम किया था। जैसा कि न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया, उस मामले में समझौता अपनी स्थापना से ही अमान्य था और बहुत बाद की तारीख में ऐसा पाया गया था।

44. अपीलार्थी, तारसेम सिंह पर भरोसा रखने के अलावा

(ऊपर), ने आग्रह किया है कि सभी न्यायिक निर्णय पूर्वव्यापी हैं (जब तक कि किसी विशेष मामले में यह न्यायालय अपने निर्णय को संभावित नहीं बनाता है) और इसलिए, इसकी यू. ए. एस. एल. से जुड़ी शून्यता उनकी शुरुआत से ही संबंधित होगी। यह इस आधार पर है कि अपीलार्थी पुनर्भुगतान के सिद्धांत के आधार पर प्रवेश शुल्क की वापसी के लिए अपना दावा करता है।

45. भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 65 इस सिद्धांत को मान्यता देती है

पुनर्स्थापन का, विशेष रूप से जब कोई अनुबंध अमान्य पाया जाता है या हो जाता है। यह इस प्रकार निर्धारित करता हैः

" 65. उस व्यक्ति का दायित्व जिसे शून्य समझौते के तहत लाभ प्राप्त हुआ है, या अनुबंध जो शून्य हो जाता है। जब एक

समझौता अमान्य पाया जाता है, या जब कोई अनुबंध अमान्य हो जाता है, तो कोई भी व्यक्ति जिसे इस तरह के समझौते या अनुबंध के तहत कोई लाभ मिला है, वह उसे उस व्यक्ति को बहाल करने या उसके लिए मुआवजा देने के लिए बाध्य है जिससे उसने इसे प्राप्त किया है।

46. भारतीय अनुबंध अधिनियम 3 4 पर पोलक और मुल्ला के मौलिक ग्रंथ में यह उल्लेख किया गया है कि धारा 65 का अपमान नहीं किया गया है। स्थिति संभावित होने की स्थिति में अधिकतम सिद्धांतः

" धारा 65 सामान्य कानून के मैक्सिम एक्स डोलो मालो नॉन ऑरिटर एक्ट और पारि डिलिक्टो पोटियर एस्ट का अपमान नहीं है।

शर्तों की संभावना; और केवल वे मामले जो इन अधिकतम के दायरे में नहीं आते हैं, धारा के प्रावधान के अनुप्रयोग को आकर्षित कर सकते हैं।

34 आर. यशोध वर्धन और चित्रा नारायण, पोलक और मुल्ला भारतीय अनुबंध और विशिष्ट राहत अधिनियम खंड I (16 वां संस्करण, लेक्सिसनेक्सिस)

65 इस आधार पर कि जब कोई समझौता अपनी शुरुआत में नहीं था शून्य है और यह अधिकतम द्वारा मारा नहीं गया था लेकिन शून्य पाया गया है

बाद में, इसके तहत प्राप्त लाभ की बहाली का अधिकार

इस तरह का समझौता न्यायसंगत विचार पर किया जाता है। अनुभाग जहां दोनों पक्षों को अवैधता के बारे में पता था, वहां आवेदन नहीं करने के लिए आयोजित किया गया है

उस समय समझौता किया गया था, और पारि डिलिक्टो में थे।

इस प्रकार, धारा 65 का अनुप्रयोग उन मामलों तक सीमित होना चाहिए।

क्या पुनर्स्थापन का दावा करने वाला पक्ष स्वयं समान अधिकार में नहीं था।

47. पुनर्स्थापन के कानून के सिद्धांतों 3 5 में, यह उल्लेख किया गया है

कि पुनर्स्थापन के सभी दावे अवैधता के बचाव के अधीन हैं। इस बचाव की उत्पत्ति कानूनी उक्ति एक्स टर्पी कौसा नॉन ऑरिटर एक्टियो (किसी बुरे कारण से कोई कार्रवाई उत्पन्न नहीं हो सकती) में है। अदालत मदद नहीं करेगी। जो अवैधता को कायम रखने का लक्ष्य रखते हैं। इस नियम को शुरू में हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा होल्मन बनाम में अपने निर्णय में मान्यता दी गई थी। जॉनसन 3 6. लॉर्ड मैन्सफील्ड ने कहाः

" आपत्ति, कि एक अनुबंध अनैतिक या अवैध है

वादी और प्रतिवादी, हर समय मुँह में बहुत बीमार लगते हैं अभियुक्त का। हालाँकि, यह उनके लिए नहीं है कि आपत्ति

इसकी अनुमति है; लेकिन यह नीति के सामान्य सिद्धांतों पर आधारित है,

जिसका प्रतिवादी को लाभ है, वास्तविक के विपरीत

न्याय, जैसा कि उसके और वादी के बीच, संयोग से, यदि मैं कर सकता हूं।

ऐक्टिंग। कोई भी अदालत उस व्यक्ति को अपनी सहायता नहीं देगी जिसने अपनी अनैतिक या अवैध कार्य पर कार्रवाई का कारण। अगर, से

वादी का अपना कथन या अन्यथा, कार्रवाई का कारण

ऐसा प्रतीत होता है कि पूर्व तुर्पी कारण, या एक का उल्लंघन उत्पन्न होता है

इस देश का सकारात्मक कानून, वहाँ अदालत का कहना है कि उसके पास नहीं है सहायता पाने का अधिकार "।

(जोर दिया गया)

पुनर्स्थापना के कानून के सिद्धांत बाद में नोट करते हैं कि

पैरी डिलिक्टो पोटियर एस्ट कंडीशियो पॉसिडेन्टिस पूर्व टर्पी कारण रक्षा को अर्हता प्राप्त करने का एक तरीका हैः

35 ग्राहम कन्या, द प्रिंसिपल्स ऑफ द लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन (तीसरा संस्करण, ओयूपी) पृष्ठ 710 36 (1775) 1 काउप 341,343; 98 ईआर 1120,1121

37 35 पर सुप्रा, पृष्ठ 711 ओपी टेलीकॉम और ट्रेडिंग लिमिटेड वी। भारत का संघ

AND ANDR। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

" यह पारि डिलिक्टो सिद्धांत में अदालत को विश्लेषण करने में सक्षम बनाता है

यह निर्धारित करने के लिए कि क्या मामले की विशेष परिस्थितियाँ दावेदार प्रतिवादी की तुलना में अवैधता के लिए कम जिम्मेदार है,

तब के लिए, जैसा कि दावेदार और प्रतिवादी के बीच, न्यायसंगत परिणाम यह है कि दावेदार को राहत देने से इनकार नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि पक्षकार

पारि डिलिक्टो में नहीं हैं। लेकिन जहाँ दावेदार अधिक है

अवैधता के लिए जिम्मेदार या पक्षों पर विचार किया जाता है

समान रूप से जिम्मेदार होने के लिए, पारि डिलिक्टो सिद्धांत लागू होता है

और क्षतिपूर्ति से इनकार कर दिया जाएगा।

(जोर दिया गया)

इस प्रकार, जब क्षतिपूर्ति का दावा करने वाला पक्ष समान रूप से या उससे अधिक होता है

किसी अनुबंध की अवैधता के लिए, उन्हें पारि में माना जाता है

को।

48. पटेल बनाम में यू. के. उच्चतम न्यायालय के निर्णय में। मिर्जा 3 8,

समप्शन जे. एस. सी. ने जांच की प्रकृति को संक्षेप में समझाया है

मेरा अनुमान है कि क्या कोई पार्टी समान रूप से प्रतिबंधित हैः

" 241 इस सिद्धांत के लिए कि एक व्यक्ति अपने आप पर अवैध रूप से भरोसा नहीं कर सकता है

उसके दावे के समर्थन में कार्य करें, महत्वपूर्ण अपवाद हैं, जो

वे सिद्धांत के रूप में ही पुराने हैं और आम तौर पर इसमें निहित हैं। ये

मोटे तौर पर इस प्रस्ताव में संक्षेपित किया गया है कि अवैधता

गलत समझा जाता है। यह एक सामान्य जांच को अधिकृत नहीं करता है। उनकी सापेक्ष दोषसिद्धि में। सवाल यह है कि

क्या वे कानूनी रूप से एक ही आधार पर थे। यह मामला

कानून मामले की दो मुख्य श्रेणियों का खुलासा करता है जहां कानून संबंधित है। पक्षों के रूप में पारि डिलिक्टो में नहीं हैं, लेकिन दोनों पर आधारित हैं

एक ही सिद्धांत।

अवैध कार्य को अनैच्छिक माना जाता हैः उदाहरण के लिए, यह हो सकता है धोखाधड़ी, अनुचित प्रभाव या दबाव के कारण

प्रतिवादी का हिस्सा जो बचाव का आह्वान करना चाहता है।

243 अन्य श्रेणी में ऐसे मामले शामिल हैं जिनमें आवेदन

अवैधता का सिद्धांत कानून के शासन के साथ असंगत होगा

जो इस अधिनियम को अवैध बनाता है। प्रतिमान मामला कानून का एक नियम है

वादी जैसे व्यक्तियों को शोषण से बचाने का इरादा

प्रतिवादी की पसंद से। इस तरह के नियम की आम तौर पर आवश्यकता होगी।

वादी के पास एक उपाय होने के बावजूद कि उसने भाग लिया

इसके उल्लंघन में "।

(जोर दिया गया)

इस प्रकार, क्षतिपूर्ति के दावे को निर्धारित करने में, दावा करने वाले पक्ष का

अवैध कार्य (और प्रतिवादी की तुलना में) के संबंध में कानूनी आधार को समझा जाना चाहिए। जब तक क्षतिपूर्ति का दावा करने वाले पक्ष ने अनैच्छिक रूप से अवैध कार्य में भाग नहीं लिया या कानून का शासन उन्हें प्रतिवादी के खिलाफ सुरक्षा प्रदान नहीं करता है, तब तक उन्हें समान रूप से माना जाएगा और इसलिए, बहाली के लिए उनका दावा विफल हो जाएगा।

49. भारत में स्थिति कुजू के मामले के समान है।

कोलियरीज लिमिटेड बनाम झारखंड माइंस Ltd.39, जहाँ तीन की एक बेंच है इस न्यायालय के विद्वान न्यायाधीशों ने तत्कालीन हैदराबाद उच्च न्यायालय की पाँच न्यायाधीशों की पीठ के फैसले पर भरोसा किया। धारा 65 के प्रावधानों का अर्थ लगाते हुए, इस न्यायालय ने कहाः

" 8. हैदराबाद उच्च न्यायालय के पाँच न्यायाधीशों की एक पूर्ण पीठ

बुधुलाल बनाम। डेक्कन बैंकिंग कंपनी [ए. आई. आर. 1955 हाईड 69 (एफ. बी.):

आई. एल. आर. 1955 हाईड 101] हमारे भाई, जगनमोहन के माध्यम से बोल रहे हैं जे. रेड्डी, जैसा कि उन्हें तब कहा गया था, इन्हें स्वीकृति के साथ संदर्भित किया गया था।

प्रिवी काउंसिल की टिप्पणियाँ। फिर उन्होंने उल्लेख किया

अपने ग्रंथ में पोलक और मुल्ला की टिप्पणियाँ

भारतीय अनुबंध और विशिष्ट राहत अधिनियम, 7 वीं संस्करण। प्रभाव के लिए कि भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 65 लागू नहीं होती है

गैरकानूनी विचार या उद्देश्य और कोई अन्य नहीं है अधिनियम में प्रावधान जिसके तहत किसी गैरकानूनी कार्य के लिए धन का भुगतान किया जाता है

उद्देश्य को वापस प्राप्त किया जा सकता है, अंग्रेजी कानून का एक सादृश्य सबसे अच्छा मार्गदर्शक होगा। फिर उन्होंने तर्क का उल्लेख किया

अधिकार अर्थात् "अमान्य पाए गए समझौते" लागू होते हैं उन सभी समझौतों के लिए जो शुरू से ही अमान्य हैं, जिनमें शामिल हैं -

गैरकानूनी विचार के आधार पर समझौते, यह निम्नलिखित है कि

वह व्यक्ति जिसने धन का भुगतान किया है या संपत्ति हस्तांतरित की है

एक अवैध उद्देश्य के लिए दूसरा इसे वापस प्राप्त कर सकता है

इस धारा के तहत हस्तांतरणकर्ता भले ही अवैध उद्देश्य हो

निष्पादन में ले जाया गया और हस्तांतरणकर्ता और हस्तांतरणकर्ता दोनों पारि डिलिक्टो में हैं। इसके बाद पीठ ने आगे कहाः

39 (1974) 2 एस. सी. सी. 533 ओ. पी. दूरसंचार और व्यापार सीमित v. भारत का संघ

AND ANDR। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

" हमारी राय में, विद्वान लेखकों का दृष्टिकोण न तो बाद के किसी भी प्रिवी काउंसिल के निर्णयों द्वारा समर्थित है और न ही यह सुसंगत है।

धारा 65 के प्रावधानों को स्वाभाविक अर्थ दिया जाना चाहिए। "जब कोई समझौता होता है" शब्दों का उपयोग करके अनुभाग

शून्य पाए जाने का अर्थ है कुछ भी कम या ज्यादा नहीं। जब वादी को पता चलता है या पता चलता है कि समझौता अमान्य है। "खोज" शब्द किसी ऐसी चीज़ के अस्तित्व से पहले का संकेत देता है जिसका बाद में पता चलता है और यह देखा जा सकता है कि हैदराबाद अनुबंध अधिनियम की धारा 66 समझौते के ज्ञान (आई. एल. एम.) को पूर्व-आवश्यकताओं में से एक के रूप में शून्य बनाती है।

प्रतिपूर्ति और एक समझौते के अर्थ में उपयोग किया जाता है

शून्य पाया गया। यदि ज्ञान एक आवश्यक आवश्यकता है तो शुरुआत से ही एक समझौता भी अमान्य पाया जा सकता है। बाद में। ऐसे मामले हो सकते हैं जहां पक्ष ईमानदारी से यह सोचकर एक समझौते में प्रवेश करते हैं कि यह एक पूरी तरह से कानूनी समझौता है और जहां उनमें से एक दूसरे पर मुकदमा करता है या चाहता है कि दूसरा उस पर कार्रवाई करे, तो उसे पता चल सकता है कि यह अमान्य है। भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 65 या हैदराबाद अनुबंध अधिनियम की संबंधित धारा में ऐसा कुछ भी विशिष्ट नहीं है जिससे यह लागू न हो।

ऐसे मामले।

एक व्यक्ति जो, हालांकि, एक गैरकानूनी उद्देश्य के लिए धन देता है, यह जानते हुए कि ऐसा है, या ऐसी परिस्थितियों में कि अवैधता या गैरकानूनीता का ज्ञान तथ्य के निष्कर्ष के रूप में आरोपित किया जा सकता है।

उसे, वह समझौता जिसके तहत भुगतान किया जाता है उसकी ओर से यह नहीं कहा जा सकता है कि यह पाया गया है कि यह शून्य है। द.

जिसने धन का भुगतान किया है या दूसरे को संपत्ति हस्तांतरित की है अवैध उद्देश्य इसे हस्तांतरणकर्ता से वापस प्राप्त कर सकता है।

इस धारा के तहत भले ही अवैध उद्देश्य को पूरा किया गया हो निष्पादन, इस तथ्य के बावजूद कि दोनों हस्तांतरणकर्ता

और हस्तांतरणकर्ता पारि डिलिक्टो में हैं, हमारे विचार में, अनदेखी करते हैं

तथ्य यह है कि अदालतें आने वाले व्यक्ति की सहायता नहीं करती हैं

अशुद्ध हाथों से। ऐसे मामलों में, प्रतिवादी के पास

वादी पर एक लाभ

बचाव की शर्तें।

हालाँकि, भारतीय न्यास अधिनियम की धारा 84 ने एक ऐसे मामले में अपवाद बनाया है-जहाँ संपत्ति का मालिक इसे अवैध उद्देश्य के लिए दूसरे को हस्तांतरित करता है और इस तरह के उद्देश्य को निष्पादित नहीं किया जाता है या हस्तांतरणकर्ता हस्तांतरणकर्ता या [2022] 4 एस. सी. आर. के प्रभाव के रूप में दोषी नहीं है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

हस्तांतरणकर्ता को संपत्ति बनाए रखने की अनुमति देना हार हो सकती है। किसी भी कानून के प्रावधानों को हस्तांतरणकर्ता के पास संपत्ति होनी चाहिए

विधायिका द्वारा बनाए गए इस विशिष्ट प्रावधान को नहीं लिया जा सकता है। इस सिद्धांत के अवमूल्यन में लाभ कि धारा 65, अनुबंध

अधिनियम, लागू नहीं होता है जहां समझौते का उद्देश्य अवैध था

जिस समय यह बनाया गया था उस समय दोनों पक्षों की जानकारी में। में।

ऐसे मामले में समझौता शुरू से ही अमान्य हो जाएगा और वहाँ होगा

उस तथ्य की बाद में खोज के लिए कोई जगह नहीं होगी।

न्यायपीठ उचित है। यह ठीक ही बताया गया है कि यदि दोनों स्थानान्तरणकर्ता और हस्तांतरणकर्ता अदालतों के समान अधिकार क्षेत्र में हैं।

उनकी सहायता न करें।

(जोर दिया गया)

हैदराबाद उच्च न्यायालय के दृष्टिकोण को बरकरार रखते हुए, यह न्यायालय

"इसने (हैदराबाद उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ) ठीक ही कहा है कि यदि हस्तांतरणकर्ता और हस्तांतरणकर्ता दोनों समान अधिकार क्षेत्र में हैं तो अदालतें उनकी सहायता नहीं करती हैं"।

50. इनमानी अप्पा राव बनाम मामले में इस न्यायालय के पहले के निर्णय में।

तीन न्यायाधीशों की पीठ गोल्लापल्ली रामलिंगमूर्ति ने कहा कि

न्यायालय के समक्ष दोनों पक्ष धोखाधड़ी में सहयोगी हैं, न्यायालय को उस दृष्टिकोण के पक्ष में झुकना चाहिए जो कम हानिकारक होगा

जनहित। न्यायमूर्ति पी. बी. गजेंद्रगडकर (जैसा कि वे उस समय थे) ने न्यायालय की ओर से बोलते हुए कहाः

" 12. इस प्रश्न से संबंधित रिपोर्ट किए गए निर्णय बताते हैं कि

इस समस्या पर विचार करने से अक्सर क्या हो सकता है कानूनी विधियों की लड़ाई के रूप में वर्णित। अपीलकर्ताओं ने जोर दिया

कि वह सिद्धांत जो पहले से ही वर्तमान में लागू होता है

मामला एक्स डोलो मालो नॉन ऑरिटर एक्टियो या एक्स टर्पी कॉसा नॉन ऑरिटर है। ऐक्टिंग। दूसरे शब्दों में, उन्होंने तर्क दिया कि कार्रवाई का अधिकार

धोखाधड़ी या कानून के उल्लंघन से उत्पन्न नहीं हो सकता है; और

उनके अनुसार ऐसे मामले में यह आवश्यक है कि अधिकार जहाँ यह स्थिति की संभावना के अनुसार स्थित है वहाँ आराम करना चाहिए;

जहाँ प्रत्येक पक्ष धोखाधड़ी में समान रूप से है, कानून उसका पक्ष लेता है जो है

वास्तव में कब्जे में, या जहां दोनों पक्ष समान रूप से दोषी हैं संपत्ति वहीं पड़ेगी जहां वह गिरती है। दूसरी ओर, प्रतिवादी 1

40 (1962) 3 एससीआर 739 ("इनमानी अप्पा राव")

ऑप टेलीकॉम एंड ट्रेडिंग लिमिटेड v. भारत का संघ

AND ANDR। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

तर्क है कि लागू करने के लिए उचित उक्ति नेमो एलीगान्स सुम है

तुर्पिटुडिनम ऑडियेंडम एस्ट, जिसे पहले अभिवचन करना हो

टर्पिटुडिनम विफल होना चाहिए; वह पक्ष विफल हो जाता है जिसे पहले आरोप लगाना होता है

धोखाधड़ी जिसमें उसने भाग लिया। दूसरे शब्दों में, सिद्धांत का आह्वान किया गया

प्रत्यर्थी द्वारा 1 यह है कि एक आदमी अपनी धोखाधड़ी का पक्ष नहीं ले सकता है। में।

इस प्रश्न का निर्णय करना कि वर्तमान को किस सिद्धांत द्वारा नियंत्रित किया जाना चाहिए

यदि यह याद रखना आवश्यक है कि लॉर्ड राइट, एम. आर. ने क्या अवलोकन किया था।

बर्ग वी में इन अधिकतम के बारे में। सैडलर और मूर [(1937) 2 KB

158 पी पर। 62] . मैक्सिम एक्स टर्पी कौसा नॉन ऑरिटर का उल्लेख करते हुए

एक्टियो लॉर्ड राइट ने देखा कि "यह उक्ति, हालांकि इसमें छिपी हुई है सीखी हुई भाषा की गरिमा, महान भाषा के सिद्धांत का एक कथन है

परिस्थितियों और विभिन्न निश्चित नियमों के बारे में जो अधिकारियों द्वारा निर्धारित किया गया था "। इसलिए, निर्णय लेने में

वर्तमान अपील में उठाया गया प्रश्न हमारे लिए आवश्यक होगा।

अधिकतम के वास्तविक दायरे और प्रभाव पर सावधानीपूर्वक विचार करना।

प्रतिद्वंद्वी दलों द्वारा सेवा में दबाव डाला गया, और यह पूछताछ करने के लिए कि किसके

अधिकतम परिस्थितियों में प्रासंगिक और लागू होंगे।

मामले से। यह आम आधार है कि दृष्टिकोण

वर्तमान विवाद का निर्धारण करने में न्यायालय को होना चाहिए

केवल सार्वजनिक नीति के विचारों द्वारा सशर्त। जो कि

सिद्धांत अधिक अनुकूल और अधिक सुसंगत होगा। जनहित के साथ, यही मामले का सार है। इसे रखने के लिए

अलग-अलग, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि दोनों पक्ष

न्यायालय के समक्ष धोखाधड़ी में संघ हैं, जो

दृष्टिकोण लोक हित के लिए कम हानिकारक होगा।

जो भी दृष्टिकोण अपनाया जाए, एक पक्ष सफल होगा। और दूसरा विफल हो जाएगा, और इसलिए पूछताछ करना आवश्यक है

किस पार्टी की सफलता जनता के लिए कम हानिकारक होगी

रुचि "।

(जोर दिया गया)

51. वह सिद्धांत जो इनमानी में निर्णय में प्रतिपादित किया गया था

ए राव (सुप्रा) को हाल ही में एक निर्णय में लागू किया गया है

-नारायणम्मा बनाम में इस न्यायालय की न्यायाधीश पीठ। गोविंदप्पा 4 1.

अदालत ने कहाः

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

न्याय का संतुलन किसके पक्ष में झुक जाएगा, यह सवाल है। जैसा कि इमानी अप्पा राव [इमानी अप्पा राव बनाम। गोल्लापल्ली रामलिंगमूर्ति, (1962) 3 एससीआर 739: ए. आई. आर. 1962 एस. सी. 370], यदि

एक अवैध समझौते के आधार पर वादी के पक्ष में डिक्री दी जाती है जो एक क़ानून द्वारा प्रभावित होती है, यह एक समझौते को लागू करने में अदालत की सक्रिय सहायता प्रदान करेगी जो कानून के विपरीत है। इसके विपरीत, यदि संतुलन की ओर झुका हुआ है

प्रतिवादी, इसमें कोई संदेह नहीं है कि वे अपने पूर्ववर्ती के अवैध होने के बावजूद भी लाभान्वित होंगे। हालाँकि, अदालत जो कर रही होगी वह केवल एक सहायता प्रदान करना है जो है विशुद्ध रूप से एक निष्क्रिय चरित्र। गजेंद्रगडकर के अनुसार, जे.

इमानी अप्पा राव [इमानी अप्पा राव बनाम। गोल्लापल्ली

रामलिंगमूर्ति, (1962) 3 एससीआर 739: ए. आई. आर. 1962 एस. सी. 370], पहला पाठ्यक्रम स्पष्ट रूप से और स्पष्ट रूप से जनहित के साथ असंगत होगा, जबकि बाद वाला पाठ्यक्रम जनता के लिए कम हानिकारक है।

पहले वाले की तुलना में ब्याज "। 52. इसलिए, धारा 65 के तहत प्रतिपूर्ति के दावे पर निर्णय लेने में

भारतीय अनुबंध अधिनियम के अनुसार, न्यायालय को उस अवैधता का निर्धारण करना चाहिए जिसके कारण अनुबंध अमान्य हो गया और पुनर्स्थापन का दावा करने वाले पक्ष ने इसमें क्या भूमिका निभाई है। यदि प्रतिपूर्ति का दावा करने वाला पक्ष अवैधता (प्रतिवादी की तुलना में) के लिए समान रूप से या अधिक जिम्मेदार था, तो प्रतिपूर्ति का कोई कारण नहीं होगा। प्रत्येक व्यक्तिगत मामले के तथ्यों के आधार पर इसका निर्धारण किया जाना चाहिए। 53. हमारे समक्ष अपीलार्थी ने एस टेल प्राइवेट में टीडीएसएटी के निर्णय पर भरोसा किया है। लिमिटेड वी. भारत संघ 42 यह स्थापित करने के लिए कि दोष

यू. ए. एस. एल. को रद्द करना अकेले केंद्र सरकार के हाथ में है। उस मामले में टी. डी. एस. ए. टी. के समक्ष निर्णय के लिए जो मुद्दा आया वह यह था कि क्या याचिकाकर्ता उस धन की वापसी का हकदार था जो उसने लाइसेंस के तहत 3 जी स्पेक्ट्रम के आवंटन के लिए भुगतान किया था जिसे बाद में इस अदालत के फैसले से रद्द कर दिया गया था। उस मामले में, याचिकाकर्ता ने 7 जुलाई 2007 को छह सर्कल/सेवा क्षेत्रों में यू. ए. एस. एल. एस. के लिए आवेदन किया था। सरकार ने 24 सितंबर 2007 को एक प्रेस नोट जारी किया जिसमें एक नए यू. ए. एस. एल. के लिए आवेदन जमा करने के लिए 10 अक्टूबर 2007 की कट-ऑफ तिथि निर्धारित की गई थी। उस पर

42 2015 एस. सी. सी. ऑनलाइन टी. डी. एस. ए. टी. 1 ("एस टेल")

लूप टेलीकॉम एंड ट्रेडिंग लिमिटेड v. भारत का संघ

AND ANDR। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

छह मंडलों के लिए याचिकाकर्ता के पिछले आवेदन सहित 122 आवेदकों को लाइसेंस प्रदान किए गए, जिनके आवेदन 25 सितंबर 2007 से पहले प्राप्त हुए थे। सोलह वृत्तों के लिए लाइसेंस से इनकार के खिलाफ इस आधार पर कि आवेदन कट-ऑफ तिथि से आगे किया गया था, याचिकाकर्ता ने मनमाने ढंग से आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि को पूर्वव्यापी रूप से आगे बढ़ाने में सरकार की कार्रवाई को चुनौती देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया। उच्च न्यायालय ने माना कि तय करने का निर्णय

सेवा प्रदाताओं की संख्या को सीमित करने की दृष्टि से आवेदन करने के लिए कट ऑफ तिथि ट्राई के निर्णय के विपरीत थी जिसे सरकार ने स्वीकार करने का इरादा किया था। तदनुसार सरकार को याचिकाकर्ता के आवेदन पर विचार करने का निर्देश दिया गया था जो 28 सितंबर 2007 को प्रस्तुत किया गया था। डिवीजन बेंच ने एक इंट्रा कोर्ट अपील को खारिज कर दिया, जिससे इस अदालत के समक्ष कार्यवाही शुरू हुई। महान्यायवादी ने कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत आवेदन को खारिज नहीं किया गया था, लेकिन इसे स्थगित कर दिया गया था और इस पर ट्राई के परामर्श से तत्कालीन प्रचलित नीति के संदर्भ में पहले आओ पहले पाओ के आधार पर विचार किया जाएगा। इस न्यायालय ने कट-ऑफ तिथियों में परिवर्तन के संबंध में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों को बरकरार रखते हुए अपील का निपटारा कर दिया। वर्तमान चर्चा के उद्देश्य से, उपरोक्त मामले में विस्तृत विश्लेषण के लिए विज्ञापन देना आवश्यक नहीं होगा, सिवाय इस बात के कि याचिकाकर्ता ने तीन सेवा क्षेत्रों में 3 जी स्पेक्ट्रम के लिए भुगतान की गई राशि की वापसी का दावा करते हुए टीडीएसएटी का रुख किया था। महत्वपूर्ण रूप से उस मामले में, टी. डी. एस. ए. टी. ने कहाः

" मामले की सुनवाई के दौरान हमने बार-बार श्री बनर्जी से पूछा कि इसके लाइसेंस रद्द करने के लिए याचिकाकर्ता को क्या दोष, यदि कोई हो, देना चाहिए। श्री बनर्जी कुछ भी दिखाने में असमर्थ थे

सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट में सुप्रीम कोर्ट का फैसला

मुकदमेबाजी या सरकारी अभिलेखों से जो यह दिखा सकते हैं कि याचिकाकर्ता किसी भी तरह से अपने लाइसेंसों को रद्द करने के लिए जिम्मेदार था। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि हालांकि याचिकाकर्ता के यू. ए. एस. लाइसेंस को अवैध घोषित किया गया था और रद्द कर दिया गया था, लेकिन यह याचिकाकर्ता की किसी गलती के कारण नहीं था, बल्कि याचिकाकर्ता द्वारा की गई अवैधताओं के कारण था।

उन एक सौ बाईस (122) लाइसेंसों को जारी करने में सरकार। खंड 3.6 और [2022] 4 एस. सी. आर. के प्रावधानों पर चर्चा करते हुए।

3.7 एन. आई. ए. की ओर से ऊपर यह उल्लेख किया गया है कि वे खंड ऐसी स्थिति से संबंधित हैं जहां लाइसेंसधारक की ओर से किसी गलती के लिए लाइसेंस रद्द/समाप्त कर दिया जाता है। वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता के लाइसेंस को रद्द करना स्पष्ट रूप से एन. आई. ए. के दो खंडों के तहत नहीं आता है। इसके अलावा, याचिकाकर्ता के लाइसेंस को रद्द करने के परिणामस्वरूप 3 जी स्पेक्ट्रम से संबंधित सरकार के साथ उसके अनुबंध को निराशा के कारण समाप्त कर दिया गया, जैसा कि अनुबंध अधिनियम की धारा 56 के तहत प्रदान किया गया है, जिससे याचिकाकर्ता के लिए मुआवजे की मांग करने के लिए यह खुला रह गया है।

अनुबंध अधिनियम की धारा 65 की शर्तें।

धनवापसी की अनुमति देने का टी. डी. एस. ए. टी. का निर्णय इस प्रकार इस सिद्धांत पर स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित है कि याचिकाकर्ता की गलती नहीं थी, लेकिन यू. ए. एस. एल. द्वारा की गई अवैधताओं के कारण रद्द कर दिया गया था।

सरकार। इसलिए तथ्यों के बीच एक स्पष्ट अंतर है वे एस टेल (सुप्रा) में टी. डी. एस. ए. टी. के सामने सामने आए और इसके तथ्य

वर्तमान मामला।

54. वर्तमान मामले में, अपीलार्थी को अपरिवर्तनीय माना गया है। सी. पी. आई. एल. (ऊपर) में इस न्यायालय के निर्णय में कोई तरीका नहीं छोड़ा गया है -

सन्देह है कि अपीलार्थी लाइसेंसधारियों के समूह में से था जो "पहले आओ पहले आओ" के तहत लाभ प्राप्त करने में संलिप्त पाए गए थे।

सरकारी खजाने की कीमत पर केंद्र सरकार की नीति की सेवा करें। ऐसी स्थिति में और ऊपर बताए गए सुव्यवस्थित सिद्धांतों का पालन करते हुए, अपीलार्थी को अपने प्रवेश शुल्क की वापसी का दावा करने का हकदार नहीं ठहराया जा सकता है।

55. अपीलार्थी की ओर से यह आग्रह किया जाता है कि सी. पी. आई. एल. (उपरोक्त) में निर्णय के बाद की गई नीलामी में संघ

सरकार ने उन क्षेत्रों सहित नए लाइसेंस दिए जो थे

बहुत अधिक मूल्य पर अपीलार्थी के पक्ष में लाइसेंस द्वारा शासित। यह तर्क इस साधारण कारण से पूरी तरह से अस्वीकार्य है कि अगर केंद्र सरकार ने एक पारदर्शी और वस्तुनिष्ठ प्रक्रिया आयोजित की होती

नीलामी आयोजित करने के लिए जब प्रारंभिक लाइसेंस अपीलार्थी के पक्ष में दिए गए थे, तो सरकारी खजाने द्वारा बहुत अधिक मूल्य प्राप्त किया गया होगा। अपीलार्थी एक स्पष्ट रूप से मनमाना नीति का लाभार्थी रहा है जिसे केंद्र सरकार द्वारा अपनाया गया था और जिसे सी. पी. आई. एल. (ऊपर) में इस न्यायालय के फैसले में रद्द कर दिया गया था। यह स्थिति होने के कारण, अपीलार्थी धारा 65 में सन्निहित प्रतिपूर्ति के सिद्धांत पर भी प्रवेश शुल्क की वापसी का हकदार नहीं होगा। भारतीय अनुबंध अधिनियम।

जी सेट ऑफ की नीति

56. अपीलार्थी के अनुसार, केंद्र सरकार द्वारा 31 पर ई. जी. ओ. एम. के निर्णय के अनुसरण में जो छूट दी गई थी

अक्टूबर 2012, दायित्व की स्वीकृति का गठन करता है। इस पृष्ठभूमि में, यह प्रस्तुत किया गया है कि वह नीति जो केंद्र सरकार द्वारा उन लाइसेंसधारियों को छूट देने की अनुमति देकर अपनाई गई थी, जिनके लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं, बशर्ते कि वे इसमें भाग लें और सफल पाए जाएं।

ताजा नीलामी, स्पष्ट मनमानेपन से ग्रस्त है।

57. सी. पी. आई. एल. (ऊपर) में इस अदालत के फैसले से, जिन लाइसेंसधारियों के लाइसेंस रद्द कर दिए गए थे, उन्हें इसमें भाग लेने से नहीं रोका गया था।

नए लाइसेंस देने के लिए बाद की नीलामी। 12 अक्टूबर 2012 को, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने "दूरसंचार विभाग द्वारा जारी स्पेक्ट्रम के आवंटन के लिए प्रतिस्पर्धी बोलियों के लिए एन. आई. ए. से सवाल और प्रतिक्रिया" शीर्षक से एक दस्तावेज़ जारी किया। अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों की प्रकृति वाले प्रश्नों में, प्रश्न संख्या 74 और 75 और उत्तर निम्नलिखित शब्दों में थेः

" 74. i) मूल प्रवेश स्तर अखिल भारतीय लाइसेंस शुल्क रु। 1506.82 (ऐसे अनुज्ञप्ति शुल्क के भुगतान की तारीख से ब्याज के साथ) जो अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के लिए भुगतान किया गया था, जिसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी अनुज्ञप्तिधारी के कारण बिना किसी कारण के रद्द कर दिया गया है, उसे नई नीलामी में भाग लेने के लिए आवश्यक बकाया राशि के विरुद्ध और सफल बोली की स्थिति में सफल बोली राशि के विरुद्ध जमा करने की अनुमति दी जानी चाहिए। यदि सफल बोली पर XXX द्वारा भुगतान किए जाने वाले धन में कोई कमी होगी और रद्द किए गए 21 यू. ए. एस. एल. के संबंध में आपको पहले से ही भुगतान किया गया लाइसेंसधारी शुल्क, XXX स्पष्ट रूप से इस तरह के अतिरिक्त भुगतान करेगा।

इस नीलामी में स्पेक्ट्रम जीतने की स्थिति में अर्नेस्ट मनी और देय भुगतान के खिलाफ एक सेट ऑफ की अनुमति है। इस तरह के छूट की कुल राशि इकाई द्वारा अपने सभी लाइसेंसों के लिए भुगतान किए गए कुल प्रवेश शुल्क तक सीमित होगी, जिन्हें संस्थान द्वारा रद्द कर दिया गया है।

सुप्रीम कोर्ट। इस राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।

(ii) 21 यू. एस. ए. लाइसेंसों के संबंध में मूल रूप से डी. ओ. टी. के पास जमा की गई बैंक गारंटी, जिन्हें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बिना किसी कारण के रद्द कर दिया है, का उपयोग नए लाइसेंसों के अधिग्रहण और आवंटन के लिए करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

स्पेक्ट्रम जीतने/अधिग्रहण की स्थिति में आवश्यक बैंक गारंटी

एकीकृत लाइसेंस (अभिगम सेवाएं) प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी।

आवश्यकता की दिशा में लाइसेंस और स्पेक्ट्रम उसी तरह, XXX द्वारा सफल बोली की स्थिति में। सफल बोली पर XXX द्वारा जमा की जाने वाली बैंक गारंटी में कोई कमी होने की स्थिति में और रद्द किए गए 21 यू. ए. एस. एल. के संबंध में डी. ओ. टी. के पास पहले से जमा की गई बैंक गारंटी, XXX स्पष्ट रूप से ऐसी बैंक गारंटी को अतिरिक्त रूप से जमा करेगा।

75. i) हम "एक बार" लागू करने पर सरकार की स्थिति के संबंध में स्पष्टता चाहते हैं।

इस स्तर पर यह स्पष्ट नहीं किया जा सकता है।

नीलामी, ताकि हम अपनी भागीदारी के संबंध में एक अच्छी तरह से सूचित निर्णय पर पहुंच सकें नीलामी।

ii) 2008 में लाइसेंस जारी करने के समय XXX द्वारा पहले से ही भुगतान की गई कीमत को नीलामी मूल्य के साथ समग्र रूप से समायोजित किया जाना चाहिए, अन्यथा हम नीलामी में सफल होते हैं, अन्यथा इसे समग्र रूप से वापस कर दिया जाना चाहिए। (सर्कल वार लिंक नहीं किया जाना चाहिए)

कृपया प्रश्न का उत्तर Sl.no पर देखें। 74. "

(जोर दिया गया)

58. 31 अक्टूबर 2012 को, संघ का मंत्रिमंडल सचिवालय

सरकार ने 18 अक्टूबर 2012 को आयोजित ई. जी. ओ. एम. की बैठक के कार्यवृत्त को प्रसारित किया। कार्यवृत्त में निम्नलिखित शर्तों में बंद करने की नीति को अपनाने का तर्क हैः

" 13. ई. जी. ओ. एम. ने 12.10.2012 दिनांकित पत्र पर विचार किया

सूचना और प्रसारण मंत्री ने प्रवेश के बारे में जानकारी दी

बकाया राशि के विरुद्ध शुल्क और देय भुगतान की स्थिति में

स्पेक्ट्रम जीता जा रहा है और नोट किया जा रहा है कि टी. एस. पी. एस. द्वारा भुगतान किया गया प्रवेश शुल्क

जिनके लाइसेंस रद्द कर दिए गए थे, वे 20 साल की अवधि के लिए थे। जबकि

एक तरफ, टी. एस. पी. एस. से यह उम्मीद की जा सकती थी कि उसने लाभ उठाया होगा।

अनुज्ञप्ति के संचालन की अवधि के लिए अनुपात राशि, अर्थात 2008

2012 , दूसरी ओर, धनवापसी के लिए दावा किया जा सकता है शेष अवधि के लिए अनुपात राशि के लिए ब्याज। इसलिए,

ई. जी. ओ. एम. ने ऐसे टी. एस. पी. को राशि समायोजित करने की अनुमति देने का फैसला किया

बिना किसी ब्याज के उनके पूर्ण प्रवेश शुल्क के बराबर

नीलामी भुगतान, भागीदारी और अंतिम भुगतान दोनों के लिए

सफल निष्कर्ष। यह स्पष्ट किया गया था कि सेट-ऑफ होगा केवल भाग लेने वाले रद्द लाइसेंस धारकों को अनुमति दी गई

नीलामी में। अर्नेस्ट के खिलाफ सेट ऑफ की अनुमति होगी। शुरू में और बाद में धन बैंक गारंटी राशि

नीलामी मूल्य के लिए देय राशि, चाहे कितनी भी हो

स्थानीय सेवा क्षेत्र (एल. एस. ए.) जिसमें रद्द लाइसेंस धारक

नीलामी में सफल है और बिना सहसंबंध की आवश्यकता के एल. एस. ए. जिनमें पहले लाइसेंस आयोजित किए गए थे और एल. एस. ए. के बीच

जिसमें रद्द किए गए लाइसेंस का धारक सफल होता है। लूप टेलीकॉम एंड ट्रेडिंग लिमिटेड v.

भारत का संघ

AND ANDR। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

केंद्र सरकार ने इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है कि सभी की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए सेट ऑफ नीति तैयार की गई थी बाद की नीलामी में दूरसंचार ऑपरेटरों ने सरकारी खजाने के लाभ के लिए उच्च मूल्य की खोज की संभावना को बढ़ाया। यह आग्रह किया गया है कि बंद करने की नीति का उद्देश्य दूरसंचार उद्योग को इस तरह से पुनर्जीवित करना था जिससे सेवाओं की निर्बाध आपूर्ति को बढ़ावा मिले। इस नीति में बाद की नीलामी में भागीदारी बढ़ाने के लिए पहले भुगतान की गई राशि के रूप में रियायत की पेशकश की गई थी।

प्रवेश शुल्क, यदि बोलीदाता नई नीलामी में सफल हुआ था। अपीलार्थी ने उस स्तर पर नीति को चुनौती नहीं दी थी, और न ही उस स्तर पर नई नीलामी के दौरान उसने मैदान में उतरने का प्रयास किया था।

आयोजित किया गया था। इन परिस्थितियों में, केंद्र सरकार द्वारा अपनाए गए नीतिगत निर्णय पर अपीलार्थी के कहने पर सवाल उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, जिसने टी. डी. एस. ए. टी. के समक्ष कार्यवाही में धनवापसी को सरल बनाने की मांग की थी। जैसा कि आर के गर्ग बनाम में एक संविधान पीठ द्वारा अभिनिर्धारित किया गया था। भारत संघ 43, जोड़ों में एक अधिक मुक्त खेल के निर्णयों को दिया जाना चाहिए

आर्थिक नीति जहाँ विधायिका या कार्यपालिका को जटिल विकल्प चुनने के लिए कहा जाता है जो हमेशा एक संकीर्ण या सैद्धांतिक समाधान के अनुरूप नहीं हो सकते हैं। 59. उपरोक्त कारणों से, हम इस स्तर पर सेट ऑफ नीति को चुनौती देने का कोई कारण नहीं पाते हैं।

अपीलार्थी।

एच निष्कर्ष

60. उपरोक्त कारणों से, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि अपीलकर्ता डी. ओ. टी. और डी. ओ. टी. के तत्कालीन अधिकारियों के साथ समान था।

प्राकृतिक संसाधनों के आवंटन के लिए खुली और पारदर्शी बोली प्रक्रिया एक प्रक्रिया द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था जिसे चयनित बोलीदाताओं के एक समूह को गैरकानूनी लाभ प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया था जिसके द्वारा अपीलार्थी लाभान्वित हुआ था।

अपीलार्थी ने विशेष न्यायाधीश, सी. बी. आई. द्वारा बरी किए जाने के फैसले पर भरोसा करके इन निष्कर्षों को टालने की कोशिश की है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि विशेष न्यायाधीश, सी. बी. आई. के समक्ष आपराधिक मुकदमा इस सवाल तक सीमित था कि क्या अपीलार्थी के प्रवर्तकों ने यू. ए. एस. एल. दिशानिर्देशों के खंड 8 के अनुपालन का गलत प्रतिनिधित्व प्रदान करके डी. ओ. टी. को धोखा दिया था, क्योंकि यह कथित रूप से एस्सार समूह द्वारा नियंत्रित किया जा रहा था। विशेष न्यायाधीश, सी. बी. आई. ने अपीलार्थी के प्रवर्तकों को बरी कर दिया क्योंकि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में असमर्थ था किः (i) दूरसंचार विभाग के अधिकारियों ने अपीलार्थी के प्रतिनिधित्व को गलत माना; (ii) अपीलार्थी एक नकली लेन-देन में शामिल था; या (iii) अपीलार्थी वास्तव में एस्सार समूह द्वारा नियंत्रित था। इसलिए, इन आपराधिक आरोपों के अपीलार्थी के प्रवर्तकों को बरी करने से सीपीआईएल (उपरोक्त) में इस न्यायालय के अंतिम निर्णय में निहित निष्कर्ष समाप्त या समाप्त नहीं होते हैं। इसलिए, एक लाभार्थी और धोखाधड़ी के परिसंघ के रूप में, अपीलार्थी को प्रवेश शुल्क की वापसी प्राप्त करने के लिए इस न्यायालय की सहायता नहीं दी जा सकती है। किसी भी स्थिति में, टी. डी. एस. ए. टी. के समक्ष इस तरह की कार्रवाई स्पष्ट रूप से सी. पी. आई. एल. (ऊपर) में इस न्यायालय के फैसले के अनुरूप थी।

61. उपरोक्त कारणों से, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि अपीलों में कोई योग्यता नहीं है। तदनुसार अपीलों को खारिज कर दिया जाता है।

62. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का निपटारा कर दिया जाता है।

देविका गुजराल

या

चिकाएं खारिज कर दी गईं।

(सहायकः महेंद्र यादव, एलसीआरए)